भारत सरकार,
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,
कर्मचारी चयन आयोग,
ब्लॉक स॰ 12, केन्द्रीय कार्यालय परिसर,
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

Government of India,
Min. of Personnel, Public Grievances & Pensions,
Dept. of Training and Personnel,
Staff Selection Commission
Block No. 12, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi – 110003

(आयोग की वेबसाइट: https://ssc.nic.in)

विज्ञप्ति

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, सचिवालय सुरक्षा बल में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) और असम राइफल्स में राइफलमैन (सामान्य ड्यूटी) की भर्ती परीक्षा, 2021

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथिः 17.07.2021 से 31.08.2021
ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि और समय: 31.08.2021 (23:30 बजे तक)
ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने के लिए अंतिम तिथि और समय : 02.09.2021 (23:30 बजे तक)
ऑफलाइन चालान तैयार करने के लिए अंतिम तिथि और समय: 04.09.2021 (23:30 बजे तक)
चालान के माध्यम से भुगतान करने के लिए अंतिम तिथि (बैंक के कार्य समय के दौरान): 07.09.2021
कंप्यूटर आधारित परीक्षा का कार्यक्रम (टियर-I) : यथासमय सूचित किया जाएगा।

"सरकार एक ऐसा कार्यदल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिम्बित हो तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता हो"

फा.सं. 3/1/2020-नी. एवं यो-I – गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित भर्ती योजना तथा गृह मंत्रालय और कर्मचारी चयन आयोग के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीमा सुरक्षा बल (सी.सु.ब.), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (के.औ.सु.ब.), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (भा.ति.सी.पु.ब.), सशस्त्र सीमा बल (स.सी.ब.), तथा सचिवालय सुरक्षा बल (स.सु.ब.) में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) तथा असम राइफल्स (अ.रा.) में राइफलमैन के पदों पर भर्ती के लिए एक खुली प्रतिस्पर्धी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सी.बी.ई.), शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी), शारीरिक मापदण्ड परीक्षा (पीएसटी), चिकित्सा परीक्षा और दस्तावेज़ सत्यापन शामिल होंगे। इस भर्ती की प्रमुख विशेषताएँ निम्नानुसार हैं:-

1.1 गृह मंत्रालय द्वारा सूचित रिक्तियों के आधार पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस परीक्षा का विज्ञापन जारी किया जाएगा।

1.2 आवेदन केवल **आनलाइन** माध्यम के जरिए ही स्वीकार किए जाएंगे।

1.3 आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई) केवल **अंग्रेजी और हिंदी** में ही आयोजित की जाएगी।

1.4 शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी)/ शारीरिक मापदण्ड परीक्षा (पीएसटी)/ विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई)/ पुनरीक्षण चिकित्सा परीक्षा (आरएमई) का कार्यक्रम और उसका आयोजन कें.स.पु.बलों द्वारा किया जाएगा।

1.5 कें.स.पु.बलों द्वारा विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) के दौरान अभ्यर्थियों से वांछित योग्यता प्रमाणपत्रों/दस्तावेजोंका संग्रहण और उनका सत्यापन किया जाएगा।

1.6 एसएसएफ में कांस्टेबल की रिक्तियां अखिल भारतीय आधार पर भरी जाएंगी, जबकि अन्य सभी के.स.पु.बलों में रिक्तियां विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार भरी जाएंगी। इसके अलावा, सीमावर्ती रक्षक जिलों और आतंकवाद/नक्सल प्रभावित जिलों के लिए रिक्तियां निर्धारित हैं जो केवल इन जिलों के अभ्यर्थियों के लिए ही आरक्षित हैं।

1.7 आतंकवाद/ नक्सल प्रभावित जिलों तथा सीमावर्ती रक्षक जिलों के नामों की सूची **अनुबंध-X** और **अनुबंध-XI** पर उपलब्ध है।

1.8 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर आयोग द्वारा अंतिम परीक्षा परिणाम सहित बल आबंटन किया जाएगा, यह उनकी शारीरिक मापदंड परीक्षा, शारीरिक क्षमता परीक्षा, चिकित्सा परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने और परीक्षा विज्ञप्ति में शामिल अन्य शर्तों के अधीन होंगे।

1.9 परीक्षा की विज्ञप्ति, कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आयोजन तथा योग्यता सूची तैयार करने और चयनित अभ्यर्थियों के बल आबंटन से संबंधित न्यायिक मामलों/ आरटीआई/ लोक शिकायतों पर क.च.आ. द्वारा कार्रवाई की जाएगी तथा अन्य सभी मामलों जैसे-परीक्षा की योजना, रिक्तियां पीईटी/ पीएसटी का आयोजन, डीएमई/ आरएमई, दस्तावेज सत्यापन आदि, पर समन्वयक के.स.पु.बलों/ गृह मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

1.10 परीक्षा के किसी भी स्तर के लिए प्रवेशपत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने की सुविधा आयोग के क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट और साथ ही सीआरपीएफ की वेबसाइट अर्थात **www.crpf.gov.in** पर प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा प्रक्रिया की अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट अर्थात **www.ssc.nic.in** संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयों और नोडल के.सु.पु.ब. अर्थात सीआरपीएफ की वेबसाइट का अवलोकन करें और परीक्षा के प्रत्येक स्तर के लिए प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर लें।

2 <u>वेतनमान:</u> वेतन स्तर-3 (21700-69100 रूपए)

3. **<u>रिक्तियाँ:</u>** रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार हैं :-

बल	पुरूष						महिला						सकल योग
	अजा	अजजा	अपिव	आकव	अना	योग	अजा	अजजा	अपिव	आकव	अना	योग	
सीसुब	1026	603	1453	641	2690	**6413**	176	110	255	113	478	**1132**	7545
केऔसुब	1133	786	1714	760	3217	**7610**	128	86	193	88	359	**854**	8464
केरिपुब	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**	0
एसएसबी	604	314	892	380	1616	**3806**	0	0	0	0	0	**0**	3806
भातिसीपु	177	131	250	95	563	**1216**	28	20	42	8	117	**215**	1431
असम राइफल्स	391	508	615	317	1354	**3185**	71	99	115	60	255	**600**	3785
रा.जां.ए.	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**	0
स.सु.बल	28	14	49	19	84	**194**	7	3	11	4	21	**46**	240
योग	3359	2356	4973	2212	9524	**22424**	410	318	616	273	1230	**2847**	**25271**

3.1 ये रिक्तियां अनंतिम हैं। रिक्तियों की संख्या में किसी भी परिवर्तन के बारे में आयोग की वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा।

3.2 भूतपूर्व सैनिको (भू.सै.) के लिए 10% रिक्तियाँ निर्धारित है। अगर योग्य भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध नहीं है तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों को संबन्धित श्रेणियों के गैर- भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा।

3.3 चूंकि के.स.पु.बलों में रिक्तियां संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए निर्धारित की गई हैं, अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे विस्तृत चिकित्सा परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन के समय आनलाइन आवेदन पत्र में उनके द्वारा उल्लिखित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का अधिवास प्रमाण पत्र/स्थायी निवास प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता को तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा तथा अभ्यर्थी को विस्तृत चिकित्सा परीक्षा कराने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में उल्लिखित राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य द्वारा जारी अधिवास प्रमाणपत्र/स्थायी निवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे दस्तावेजों के सत्यापन के समय राज्य परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी और उनकी अभ्यर्थिता तत्काल निरस्त कर दी जाएगी। अतः अभ्यर्थी आवेदन पत्र अत्यंत सावधानी से भरें।

3.4 नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों को भारतवर्ष में कहीं भी सेवा करनी पड़ सकती है।

3.5 चयन के उपरांत अभ्यर्थियों की नियुक्ति विभिन्न के.स.पु.बलों में प्रशिक्षण स्थल की उपलब्धता और रिक्तियों के अधीन है। इसलिए, अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण स्थल की उपलब्धता के अनुसार अलग-अलग चरणों में नियुक्त किया जा सकता है। कार्य ग्रहण और सेवा संबंधी मुद्दें, वरिष्ठता, प्रशिक्षण आदि विभिन्न संगठनों के नियमों व विनियमों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे।

4. **राष्ट्रीयता/नागरिकता** : अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए। रिक्तियां राज्य/संघ क्षेत्रवार हैं, अतः अभ्यर्थी अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित अधिवास/स्थायी निवास प्रमाणपत्र अवश्य प्रस्तुत करें।

5. **आयु सीमाः** 01.08.2021 को 18 से 23 वर्ष। अभ्यर्थी का जन्म 02.08.1998 से पहले और 01.08.2003 के बाद न हुआ हो।

5.1 विभिन्न श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अनुज्ञेय छूट निम्नानुसार है:

कोड सं.	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में स्वीकार्य (अनुज्ञेय) छूट
01	अजा/अजजा	05 वर्ष
02	अपिव	03 वर्ष
03	भूतपूर्व सैनिक	गणना की तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष
04	1984 के दंगों अथवा गुजरात में 2002 के साम्प्रदायिक दंगों में मारे गए दंगा पीड़ितों के बच्चे और उनके आश्रित (अनारक्षित)	05 वर्ष
05	1984 के दंगों अथवा गुजरात में 2002 के साम्प्रदायिक दंगों में मारे गए दंगा पीड़ितों के बच्चे और उनके आश्रित (अपिव)	08 वर्ष
06	1984 के दंगों अथवा गुजरात में 2002 के साम्प्रदायिक दंगों में मारे गए दंगा पीड़ितों के बच्चे और उनके आश्रित (अजा/अजजा)	10 वर्ष

5.2 आयोग द्वारा आयु को निर्धारित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई उसी जन्म तिथि को स्वीकार किया जाएगा जो उसके मैट्रिकुलेशन / माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र में दर्ज की गई है और बाद में उसमें किसी भी परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा या उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

5.3 ऐसे भूतपूर्व सैनिक (भूपूसै) जिन्होंने भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभ को प्राप्त करके सिविल पदों पर नियमित सरकारी नौकरी पहले से ही प्राप्त कर ली है, वे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में आरक्षण और शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं। तथापि, वे उत्तरवर्ती नियोजन के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं यदि वे सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करने के बाद तुरन्त विभिन्न रिक्तियों जिसके लिए उसने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 14 अगस्त, 2014 के का.ज्ञा.सं. 36034/1/2014-स्था (आर.) में यथा उल्लिखित प्रारंभिक सिविल नौकरी में कार्यभार ग्रहण से पहले रिक्तियों के लिए आवेदन किया था, और आवेदनों का तिथि वार ब्योरा सहित संबंधित नियोक्ता को स्व: घोषणा/वचन दिए है।

5.4 सशस्त्र सेनाओं में एक भूतपूर्व सैनिक की "काल अप सर्विस" की अवधि आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से सशस्त्र सेनाओ में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी।

5.5 आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओ के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने इस पद/सेवा के लिए आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूपूसै का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो और/अथवा उसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति में होना चाहिए कि वह अन्तिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओ की विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि पूरी कर लेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर भूतपूर्व सैनिक का दर्जा भी प्राप्त करना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों की पात्रता के मुद्दे पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 01.12.2020 की रिट याचिका (सी) सं.520/2020 के निर्णय के आधार पर फैसला लिया जाएगा।

5.6 स्पष्टीकरण: भूपूसै से आशय उस व्यक्ति से है :-

5.6.1 जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, जल सेना या वायु सेना मे लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रुप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा

(क) जो पेंशन प्राप्त हो जाने के बाद या अपने अनुरोध पर या नियोक्ता द्वारा सेवानिवृत्त/ कार्यमुक्त/ या सेवामुक्त हुए हों; या

(ख) जिसे चिकित्सा आधार पर सैन्य सेवा अथवा नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य निशक्तता पेंशन दी गई हो; या

(ग) जिसे कर्मचारियों की संख्या में कटौती के परिणामस्वरुप उस सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो;

या

5.6.2 जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न करके किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक नामतः सतत सेवा या अर्हक सेवा की खंडित पारियों के पेंशन धारक;

या

5.6.3 सेना डाक सेवा के वे कार्मिक जो रेगुलर सेना का भाग हों और थल सेना डाक सेवा से अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित हुए बगैर पेंशन के साथ सेवा निवृत हुए हों या चिकित्सा आधार पर सेना डाक सेवा से

कार्य–मुक्त किए गए हों अथवा नियंत्रण से परे की परिस्थितियों के कारण उन्हें चिकित्सा या अन्य निशक्तता पेंशन दी गयी हो ।

या

5.6.4 वे कार्मिक, जो 14 अप्रैल,1987 से पहले छह महीने से अधिक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर सेना डाक सेवा में थे ।

या

5.6.5 प्रादेशिक सेना के कार्मिकों सहित सशस्त्र सेनाओं के वीरता पुरस्कार विजेता

या

5.6.6 चिकित्सा आधार पर बोर्ड द्वारा कार्यमुक्त किए गए भूतपूर्व सैनिक जिन्हें निशक्तता पेंशन मंजूर की गयी हो।

5.7 संघ की सशस्त्र सेनाओ में कार्यरत व्यक्ति जो सेवानिवृत्त होने के पश्चात "भूतपूर्व सैनिक" की श्रेणी में आएंगे, को सेवा की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी करने से एक वर्ष पहले पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन करने तथा भूपूसै की सभी रियायतों का लाभ उठाने की अनुमति दी जा सकती है, किन्तु उन्हें तब तक वर्दी (यूनिफार्म) छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि वे संघ की सशस्त्र सेनाओ में सेवा की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी नहीं कर लेते।

5.8 भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र–पुत्रियों और आश्रितों को आयु सीमा में छूट/आरक्षण स्वीकार्य नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी भू.पू.सै. नहीं लिखनी चाहिए ।

5.9: बच्चों से तात्पर्य

5.9.1 पुत्र (दत्तक पुत्र सहित) अथवा

5.9.2 पुत्री (दत्तक पुत्री सहित)

5.10 आश्रित परिवार के सदस्यों से तात्पर्य

5.10.1 पति/पत्नी अथवा

5.10.2 बच्चे अथवा

5.10.3 अविवाहित पीड़ित के मामले में भाई अथवा बहन जो उस पीड़ित व्यक्ति पर दंगे में उसके मारे जाने के समय पूर्णतया आश्रित था/थी पात्र होगा/होगी । श्रेणी संख्या 04/05/06, में ऊपरी आयु में छूट के लिए पात्र होने के लिए, संबंधित जिला कलैक्टर/जिला मजिस्ट्रेट, जहां पीड़ित व्यक्ति मारा गया था, आवेदक को इस आशय से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

6: प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्र का प्रारुपः

6.1 जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने हेतु इच्छुक हैं/ अथवा आयु में छूट चाहते हैं, उन्हे विस्तृत चिकित्सा परीक्षा के समय दस्तावेज़ सत्यापन के लिए संबन्धित के.स.पु.ब द्वारा मांगे जाने पर विहित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। अन्यथा अजा/अजजा/अपिव/आकव के दर्जे के उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी अभ्यर्थिता/आवेदन को सामान्य (अना) श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि अभ्यर्थी ने आयु में कोई अन्य छूट मांगी है और वह संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसके नाम पर केवल उसकी संबंधित श्रेणी अर्थात अजा/अजजा/अपिव/आकव/अना. में विचार किया जाएगा। इन प्रमाणपत्रों के प्रारुप परीक्षा की विज्ञप्ति के साथ संलग्न हैं।

6.2 एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवसन पर एक अभ्यर्थी जो अजा, अजजा या अपिव से संबंध रखता हो, उसे अपना यह विकल्प सूचित करना होगा कि वह अपने मूल राज्य से आरक्षण का लाभ लेना चाहता है या प्रवसन राज्य से अनारक्षित अभ्यर्थी के रूप में शामिल होना चाहता है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के समय इस

विकल्प का उपयोग करना आवश्यक हैं। आवेदन फॉर्म जमा होने के बाद ऐसे विकल्प में किसी भी परिवर्तन का अनुरोध आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर अभ्यर्थी अपने मूल राज्य से आरक्षण का लाभ लेना चाहता है तो, उसे आवेदन पत्र में अपने मूल राज्य और जिले की जानकारी और साथ ही साथ अपने वर्तमान अधिवास राज्य और जिले की जानकारी जमा करनी होगी और उसकी अभ्यर्थिता पर उसके मूल राज्य द्वारा विचार किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी को अपने मूल राज्य से अधिवासी प्रमाण-पत्र जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं हैं।

6.3 अजा/अजजा/अपिव/आकव स्थिति या आरक्षण के दावे की निर्णायक तिथि, ऑनलाइन आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।

6.4 अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति की मांग कर रहे व्यक्ति को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास जाति/समुदाय का प्रमाण पत्र है तथा वह निर्णायक तिथि को क्रीमी लेयर में नही आता/आती है।

6.5 अभ्यर्थी, उपरोक्त के संबंध में यह भी नोट करें कि उनकी अभ्यर्थिता तब तक अनंतिम रहेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज के सत्यापन की पुष्टि नहीं कर ली जाती । अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा/अजजा/अपिव/आकव/ भू.पू.सै का दावा करते हैं तो उन्हें आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से वारित कर दिया जाएगा।

6.6 किसी राज्य/संघ शासित क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों पर उनके संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र में भर्ती के लिए ही विचार किया जाएगा जिसके लिए उन्हें अपना अधिवासी दर्जा सिद्ध करने के लिए सम्बद्ध राज्य/संघ शासित क्षेत्र द्वारा यथा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध "अधिवास/ स्थाई निवासी प्रमाणपत्र" दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसकी अभ्यर्थिता को तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दिए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का अधिवास/स्थायी निवास प्रमाणपत्र देना चाहिए अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता तत्काल निरस्त कर दी जाएगी।

6.7 चूंकि असम राज्य अधिवास प्रमाणपत्र/पीआरसी जारी नही कर रहा है, इसलिए असम राज्य के अभ्यर्थी को इसे प्रस्तुत करने की आवश्यकता नही है। तथापि, उनका चयन संबंधित जिला प्राधिकारियों द्वारा आवास प्रस्थिति के सत्यापन की शर्त पर होगा।

6.8 पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी, जो जम्मू व कश्मीर तथा लद्दाख राज्य में बस गए हैं, लेकिन उन्हें जम्मू व कश्मीर राज्य का नागरिक होने का दर्जा नही दिया गया है, की भर्ती जम्मू व कश्मीर राज्य और लद्दाख संघ शासित प्रदेश के नामित प्राधिकारी से अधिवास प्रमाणपत्र प्राप्त करने की शर्त के बिना की जाएगी। तथापि ऐसे अभ्यर्थियों को **अनुबंध-XII** के अनुसार पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी के लिए मूल निवास/पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

7. शैक्षिक योग्यताएं (01.08.2021 के अनुसार)

7.1 किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से /मैट्रिकुलेशन अथवा दसवीं कक्षा उत्तीर्ण ।

7.2 जिन अभ्यर्थियों ने निर्धारित तारीख को अनिवार्य शैक्षिक योग्यता हासिल नहीं की है, वे पात्र नहीं हैं और उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है ।

7.3 भारत के राजपत्र में प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 10.06.2015 की अधिसूचना के अनुसार संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयवत् संस्थाओं और संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत घोषित

राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के माध्यम से प्रदान की गई तकनीकी शिक्षा डिग्री /डिप्लोमा सहित समस्त डिप्लोमा/डिग्रियां/प्रमाणपत्र केन्द्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में नियोजन के प्रयोजन से स्वतः ही मान्यता प्राप्त हैं बशर्ते, उनको दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन हो । तदनुसार, जब तक कि ऐसी डिग्री को उस प्रासंगिक अवधि के लिए मान्यता नहीं दी जाती है, जब अभ्यर्थियों ने वह शैक्षिक अर्हता अर्जित की है, उन्हें शैक्षिक अर्हता के उद्देश्य से अर्हता प्राप्त नहीं माना जाएगा।

7.4 सभी अभ्यर्थी जिन्हे दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा उन्हें **निर्धारित कट-ऑफ तिथि** को या उससे पहले न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के प्रमाण के रूप में सभी प्रासंगिक प्रमाण पत्र, जैसे- अंक तालिका, प्रोविजनल डिग्री आदि प्रमाणपत्र मूल रूप में प्रस्तुत करने होंगे, जिसमें विफल होने पर आयोग द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। वह अभ्यर्थी जो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित कर पाते हैं कि शैक्षिक अर्हक परीक्षा का परिणाम कट्-ऑफ तिथि को अथवा उससे पूर्व घोषित किया गया था तथा उसे उत्तीर्ण घोषित किया गया है, तो शैक्षिक योग्यता को पूरा करने की दृष्टि से उसके नाम पर भी विचार किया जाएगा। **यह दोहराया जाता है कि बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तारीख तक अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता का परिणाम घोषित हो जाना चाहिए। बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा महत्वपूर्ण कट- ऑफ तारीख तक परिणाम को तैयार किए जाने मात्र से शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता पूरी नहीं होती है।**

7.5 **एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों के लिए प्रोत्साहन** एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों के लिए : प्रोत्साहन निम्नलिखित मानों में दिया जाएगा:

प्रमाणपत्र श्रेणी	प्रोत्साहन / बोनस अंक
एनसीसी 'सी' प्रमाणपत्र	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 5%
एनसीसी 'बी' प्रमाणपत्र	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 3%
एनसीसी 'ए' प्रमाणपत्र	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 2%

7.5.1 एनसीसी सर्टिफिकेट का लाभ दस्तावेज सत्यापन के समय उनके दावे के समर्थन में मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर ही प्रदान किया जाएगा। तथापि, एनसीसी सर्टिफिकेट के सत्यापन तक, ऑनलाइन आवेदन के समय अभ्यर्थी द्वारा किए गए दावे के अनुसार अस्थायी रूप से बोनस अंक दिए जाएंगे।

7.5.2 इसकी निर्णायक तिथि ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी।

7.5.3 भूतपूर्व सैनिकों के लिए यह लाभ उपलब्ध नहीं हैं।

8. आवेदन कैसे करेः

8.1 आवेदन-पत्र केवल ऑनलाइन मोड में कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात https://ssc.nic.in पर जमा करने होंगे। विस्तृत निर्देशों के लिए, कृपया इस विज्ञप्ति के **अनुलग्नक- I** और **अनुलग्नक- II** का अवलोकन करें। एक-बारगी

पंजीकरण का और ऑनलाइन आवेदन का नमूना प्रोफार्मा **<u>अनुलग्नक-IA</u>** और **<u>अनुलग्नक-IIA</u>** के रूप में संलग्न हैं ।

8.2 ऑनलाईन आवेदन फॉर्म में अभ्यर्थियों को जेपीईजी प्रारूप (20 केबी से 50 केबी) में स्कैन किए गए रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो अपलोड करनी होगी। फोटोग्राफ परीक्षा विज्ञप्ति प्रकाशित होने के तीन महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और जिस तारीख को फोटो ली गई है, वह फोटोग्राफ पर अंकित होनी चाहिए। फोटोग्राफ पर बिना तिथि अंकित आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा। फोटोग्राफ की छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। **फोटोग्राफ बिना टोपी और चश्मे का होना चाहिए और उसमें दोनों कान दिखाई देने चाहिए।**

8.3 ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय 31-08-2021 (2330) है।

8.4 **अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें और अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन जमा कर दें क्योंकि अंतिम दिनों में नेटवर्क व्यस्त होने के कारण संपर्क में बाधा हो सकती है और क.च.आ. की वेबसाइट पर लॉगइन करने में विफलता हो सकती है।**

8.5 आयोग उक्त कारणों से या अपने नियंत्रण से परे किसी भी अन्य कारण से अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदन प्रस्तुत न करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

8.6 ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थियों को यह जांच कर लेनी चाहिए कि उन्होंने आवेदन के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है। ऑनलाइन आवेदनपत्र जमा करने के बाद किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन / सुधार / संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में किसी भी रूप में प्राप्त अनुरोध, जैसे- डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

9. <u>आवेदन शुल्कः</u>

9.1 देय शुल्क: 100 / - रुपये (मात्र एक सौ रुपए)।

9.2 महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) और भूतपूर्व सैनिकों (भू.पू.सै.) से संबंधित अभ्यर्थियों को शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है।

9.3 शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग के माध्यम से या वीजा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो, रुपे क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके या एसबीआई की शाखा में नकद भुगतान करके एसबीआई चालान बनवा कर किया जा सकता है ।

9.4 अभ्यर्थी ऑनलाइन शुल्क का भुगतान **02.09.2021 (23:30 बजे)** तक कर सकते हैं। तथापि वे अभ्यर्थी जो भारतीय स्टेट बैंक के चालान के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं, वे **07.09.2021** तक बैंक के कार्य समय के भीतर भारतीय स्टेट बैंक की निर्धारित शाखाओं में भुगतान कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्होंने दिनांक **04.09.2021 (23:30 बजे)** तक चालान बनवा लिया है।

9.5 जिन अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान से छूट नहीं मिली है, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका शुल्क कर्मचारी चयन आयोग को प्राप्त हो गया है। यदि शुल्क क.च.आ. को प्राप्त नहीं होता है, तो आवेदन पत्र की स्थिति **<u>'अपूर्ण'</u>** दर्शाई जाएगी और यह जानकारी

ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट के शीर्ष पर छपी होगी। इसके अलावा, शुल्क भुगतान की स्थिति को अभ्यर्थी के लॉगिन स्क्रीन में दिए गए "भुगतान की स्थिति" लिंक पर सत्यापित किया जा सकता है। ऐसे आवेदन जो शुल्क न मिलने के कारण अपूर्ण रह जाते हैं, उन्हें सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और परीक्षा विज्ञप्ति में निर्दिष्ट अवधि के बाद ऐसे आवेदनों पर विचार करने और शुल्क भुगतान करने का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

9.6 एक बार भुगतान किया गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।

10. परीक्षा केंद्र:

10.1 अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में उस केंद्र (ओं) को इंगित करें, जिसमें वह परीक्षा देना चाहता है। परीक्षा केन्द्र और क्षेत्रीय कार्यालय जिनके अधिकार क्षेत्र में ये परीक्षा केन्द्र स्थित हैं, के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	**परीक्षा केंद्र और केंद्र कोड**	**कचआ क्षेत्र एवं क्षेत्र के अंतर्गत राज्य/ संघ-राज्य क्षेत्र**	**क्षेत्रीय कार्यालयों/ वेबसाइट का पता**
1	भागलपुर (3201), दरभंगा (3202), मुजफ्फरपुर (3205), पटना (3206), पूर्णिया (3209), आगरा (3001), बरेली (3005), गोरखपुर (3007), झांसी (3008), कानपुर (3009), लखनऊ (3010), मेरठ (3011), प्रयागराज (3003), वाराणसी (3013)	मध्य क्षेत्र (म.क्षे) बिहार और उत्तर प्रदेश	क्षेत्रीय निदेशक (क्षे.म), कर्मचारी चयन आयोग, 34-ए, महात्मा गांधी मार्ग, सिवल लाइंस, केंद्रीय सदन, प्रयागराज - 211 001 **(http://www.ssc-cr.org)**
2	पोर्ट ब्लेयर (4802), रांची (4205), बालासोर (4601), बेरहामपुर (ओडिशा) (4602), भुवनेश्वर (4604), कटक (4605), धेनकेनाल (4611), राउरकेला (4610), संबलपुर (4609), गंगटोक (4001), हुगली (4418), कोलकाता (4410), सिलीगुड़ी।(4415)	**पूर्वी क्षेत्र (पू.क्षे.)** अंडमान & निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, उड़ीशा, सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल	क्षेत्रीय निदेशक (पू.क्षे.) कर्मचारी चयन आयोग, 8वांतल, प्रथम एमएसओ बिल्डिंग, 234/4, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल -700020 **(http://www.sscer.org)**
3	कावारत्ती (9401), बेलागवी (9002), बेंगलुरु (9001), हुबली (9011), कलबूर्गी (गुलबर्गा) (9005), मंगलुरु (9008), मैसूर (9009), शिवमोग्गा (9010), उडुपी (9012), एर्नाकुलम (9213), कन्नूर (9202), कोल्लम (9210), कोट्टायम (9205), कोझिकोड (9206), त्रिशूर (9212), तिरुवनंतपुरम (9211)	**केरल कर्नाटक क्षेत्र (केकेआर)** लक्षद्वीप, कर्नाटक और केरल	क्षेत्रीय निदेशक (केरल कर्नाटक क्षेत्र) कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, "ई" विंग, केन्द्रीय सदन , कोरामंगला , बेंगलुरू , कर्नाटक-560034 **(http://www.ssckkr.kar .nic.in)**
4	भोपाल (6001), ग्वालियर (6005), इंदौर (6006), जबलपुर (6007), सतना	**मध्य प्रदेश उप-क्षेत्र (म.प्र.क्षे.)**	उप निदेशक (म.प्र.क्षे.), 5वां तल,

	(6014), सागर (6015), उज्जैन (6016), बिलासपुर (6202), रायपुर (6204), दुर्ग-भिलाई (6205)		इनवेस्टमेंट बिल्डिंग, एलआईसी कांम्प्लेक्स, पंडरी, रायपुर, छत्तीसगढ़-492004 **http://www.sscmpr.org**
5	इटानगर (5001), डिब्रूगढ़ (5102), गुवाहाटी (दिसपुर) (5105), जोरहाट (5107), सिलचर (5111), चुराचंदपुर (5502), इम्फाल (5501), उखरूल (5503), शिलांग (5401), आइजाल (5701), कोहिमा (5302), अगरतला (5601)	**पूर्वोत्तर क्षेत्र / (एनईआर)** अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा	क्षेत्रीय निदेशक (एनईआर), कर्मचारी चयन आयोग, हाउसफेड कॉम्प्लेक्स, लास्ट गेट वशिष्ठ रोड, पीओ असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी, असम-781006 **http://www.sscner.org.in**
6	देहरादून (2002), हल्द्वानी (2003), हरिद्वार (2005), रुड़की (2006), दिल्ली (2201), अजमेर (2401), अलवर (2402), भरतपुर (2403), बीकानेर (2404), जयपुर (2405), जोधपुर (2406), कोटा (2407), श्रीगंगानगर (2408), उदयपुर (2409), सीकर (2411),	**उत्तरी क्षेत्र (एनआर)** .क्षे.रा.रा/ दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड	क्षेत्रीय निदेशक (एनआर), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक संख्या 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003 **http://www.sscnr.net.in**
7	चंडीगढ़/मोहाली (1601), हमीरपुर (1202), शिमला (1203), जम्मू (1004), सांबा (1010), श्रीनगर (ज&का) (1007), लेह (1005),अमृतसर (1404), जालंधर (1402), पटियाला (1403)	**पश्चिमोत्तर क्षेत्र (एनडब्ल्यूआर)** चंडीगढ़/, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मूकश्मीर और - पंजाब	उप निदेशक (एनडब्ल्यूआर), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक नंबर 3, ग्राउंड फ्लोर, केन्द्रीय सदन , सेक्टर 9,चंडीगढ़-160009 **http://www.sscnwr.org**
8	चिरला (8011), गुंटूर (8001), काकीनाडा (8009), कुरनूल (8003), नेल्लोर (8010), राजमुंदरी (8004), तिरुपति (8006), विजयनगरम (8012), विजयवाड़ा (8008), विशाखापत्तनम (8007), पुदुचेरी (8401), चेन्नई (8201), कोयंबटूर (8202), मदुरै (8204), सलेम (8205), तिरुचिरापल्ली (8206), तिरुनेलवेली (8207), वेल्लोर (8208), हैदराबाद (8601), करीमनगर (8604), वारंगल (8603)	**दक्षिणी क्षेत्र / (एसआर)** आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना।	क्षेत्रीय निदेशक (एसआर), कर्मचारी चयन आयोग, दूसरा तल, ईवीके संपथ बिल्डिंग, डीपीआई कैंपस, कॉलेज रोड, चेन्नई, तमिलनाडु -600006 **http://www.sscsr.gov.in**
9	पणजी (7801), अहमदाबाद (7001), आनंद (7011), गांधीनगर (7012),	**पश्चिमी क्षेत्र (प.क्षे.)**	क्षेत्रीय निदेशक (डब्ल्यूआर),

	मेहसाणा (7013), राजकोट (7006), सूरत (7007), वडोदरा (7002), अमरावती (7201), औरंगाबाद (7202), जलगाँव (7214), कोल्हापुर (7203), मुंबई (7204), नागपुर (7205), नांदेड़ (7206), नासिक (7207), पुणे (7208)	दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र	कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, साउथ विंग, प्रतिष्ठा भवन, 101, महर्षि करवे रोड, मुंबई, महाराष्ट्र - 400020 **(http://www.sscwr.net)**

10.2 अभ्यर्थी प्राथमिकता के क्रम में, उसी क्षेत्र के भीतर तीन केंद्रों के लिए विकल्प दे सकता है। इसके पश्चात किसी भी परिस्थिति में केंद्र के परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थी, केन्द्र का चयन ध्यान से करें और अपने आवेदन में उसे ठीक से इंगित करें।

10.3 आयोग उम्मीदवारों को उनके द्वारा चुने गए केंद्रों में समायोजित करने का प्रयास करेगा। तथापि, आयोग प्रशासनिक व्यवहार्यता के आधार पर, अपने विवेकानुसार किसी भी परीक्षा केंद्र को रद्द करने और/या कुछ अन्य केंद्रों को शामिल करने, अभ्यर्थी को उसके द्वारा चुने गए केंद्र से अन्य केंद्र आबंटित करने का का अधिकार रखता है।

10.4 कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्र, पीईटी/पीएसटी या विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई)/पुनर्विचार मेडिकल परीक्षा (आरएमई) उस राज्य/संघराज्य-क्षेत्रों की रिक्तियों के लिए अभ्यर्थियों के चयन हेतु कोई मानदंड नहीं होगा जिसमें ऐसे केंद्र स्थित हैं। इस प्रयोजनार्थ अधिवास प्रमाण-पत्र/स्थायी निवास प्रमाण-पत्र एकमात्र मानदंड होगा।

11. परीक्षा की योजना

11.1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा: कंप्यूटर आधारित परीक्षा एक **वस्तुनिष्ठ** प्रकार का पेपर होगा जिसमें **100 अंकों के 100 प्रश्न** होंगे। उनकी संरचना निम्नलिखित होगी:

	विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अवधि/ अनुमत समय
भाग- क	सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति	25	25	90 मिनट
भाग- ख	सामान्य ज्ञान और सामान्य जानकारी	25	25	
भाग- ग	प्रारंभिक गणित	25	25	
भाग- घ	अंग्रेजी/हिंदी	25	25	

11.1.1 सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहु-विकल्पीय प्रश्न होंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा केवल अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित की जाएगी ।
11.1.2 प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 नकारात्मक अंक दिए जाएंगे । अतएव, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रश्नों का उत्तर देते समय इस तथ्य को ध्यान में रखें ।
11.1.3 अभ्यर्थियों को परीक्षा के तिथि की जानकारी सिर्फ आयोग की वेबसाईट के माध्यम से दी जाएगी।
11.1.4 अंकों के पुनर्मूल्यांकन / पुन: जाँच का कोई प्रावधान नहीं होगा। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया किया जाएगा।

11.1.5 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक आयोग द्वारा जारी नोटिस सं–1-1/2018–पी&पी–I दिनांक–07.2.2019 में प्रकाशित सिद्धान्त के प्रयोग से सामान्यीकृत किए जाएंगे और ऐसे सामान्यकृत अंकों सहित एनसीसी प्रमाण–पत्र धारकों के लिए बोनस अंकों का प्रयोग अंतिम योग्यता और कट–ऑफ अंक निर्धारित करने के लिए किया जाएगा।

11.1.6 परीक्षा के बाद अनंतिम उत्तर–कुंजी आयोग के वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। अभ्यर्थी उत्तर–कुंजी को अच्छी तरह से परख सकते है और अगर उस पर कोई अभ्यावेदन देना चाहें तो आयोग द्वारा दी गई समय–सीमा के अंदर, 100 रु. प्रति प्रश्न का भुगतान करके, सिर्फ ऑनलाईन माध्यम से दे सकते है। उत्तर–कुंजी अपलोड करने के समय, आयोग द्वारा निर्धारित की गई समय–सीमा के अंदर प्राप्त, उत्तर–कुंजी से संबन्धित किसी भी अभ्यावेदन को उत्तर–कुंजी को अंतिम रूप देने से पहले संवीक्षित किया जाएगा और इस संबंध में आयोग का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा। उत्तर–कुंजी से संबन्धित, बाद में प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

11.1.7 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के प्रश्न माध्यमिक स्तर के होंगे।

11.1.8 कंप्यूटर आधारित परीक्षा पर वाक–थ्रु वीडियो/ मॉक टेस्ट आयोग के वेबसाइट के 'अभ्यर्थी कॉर्नर' सेक्शन में प्रदान की गई हैं।

11.1.9 अभ्यर्थियों को कैलकुलेटर और अन्य ईलेक्ट्रोनिक उपकरण उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। अतः उन्हे ऐसे उपकरणों को परीक्षा हॉल/ लैब के अंदर नहीं लाना चाहिए।

11.1.10 परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगा :

11.1.10.1 **<u>सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति</u>:** सैद्धान्तिक रूप से गैर–शाब्दिक प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से विश्लेषणात्मक अभिरूचि देखने और प्रतिरूपों में भिन्नता करने की योग्यता आंकी जाएगी। इस घटक में सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, स्थानिक कल्पना, स्थानिक अभिविन्यास, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क एवं आकृति संबंधी वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर–शाब्दक श्रृंखला, कोडिंग एवं डिकोडिंग इत्यादि पर प्रश्नों को शामिल किया जा सकता है।

11.1.10.2 **<u>सामान्य ज्ञान और सामान्य जानकारी</u> :** इस घटक के प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस–पास के परिवेश की सामान्य जानकारी की जांच करना होगा। सामयिक घटनाओं और दिन–प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैधानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है। इस परीक्षा में भारत और उसके पडोसी देशों के संबंध में विशेषकर खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आथिर्क परिदृश्य, सामान्य राज्य–व्यवस्था, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे। ये इस प्रकारके प्रश्न होंगे कि उनके लिए किसी भी विषय के विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं है।

11.1.10.3 **<u>प्रारंभिक गणित</u> :** इस प्रश्नपत्र में संख्या प्रणाली से संबंधित समस्याओं, पूर्णांकों का अभिकलन, दशमलव और भिन्न तथा संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशतता, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ–हानि, छूट, क्षेत्रमिति, समय और दूरी, अनुपात और समय, समय और कार्य, आदि से संबंधित प्रश्न शामिल किए जाएंगे।

11.1.10.4 **<u>अंग्रेजी/हिंदी</u> :** अभ्यर्थियों के मूल अंग्रेजी/हिंदी ज्ञान, उसकी मूलभूत समझ आदि की जांच की जाएगी।

11.2 <u>शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) / शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) :</u>

कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर, अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा पीईटी/पीएसटी के लिए शार्टलिस्ट किया जाएगा। के.स.पु. बलों द्वारा अंतिम रूप से निर्णीत विभिन्न केंद्रों पर शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) और

शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) आयोजित की जाएगी। विस्तृत चिकित्सा जांच के दौरान अभ्यर्थियों की पात्रता/दस्तावेजों की विस्तृत की जाएगी। इसलिए, कंप्यूटर आधारित परीक्षा/शारीरिक मानक परीक्षा/शारीरिक दक्षता परीक्षा में बैठने से पहले अपनी पात्रता की जांचकरने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। शारीरिक मानक परीक्षा/शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान, ऊंचाई के मानकों पर योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (दौड़) देनी होगी और इसके पश्चात उनकी बायोमेट्रिक/तकनीक समर्थित पहचान की जाएगी। किसी भी छूट अर्थात आयु, ऊंचाई और छाती के माप के लिए, अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच शारीरिक मानक परीक्षा से पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा (दौड़) में अर्हता प्राप्त करने के बाद के.स.पु.ब. द्वारा की जाएगी।

11.3 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) और शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाले भूतपूर्व सैनिक को शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) और शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) में सिर्फ ऊंचाई, छाती और वजन माप के लिए शामिल होना होगा। इन भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) का आयोजन नहीं किया जाएगा। तथापि, उन्हे चिकित्सा परीक्षा में अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य हैं।

11.4 शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) : अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अवधि के भीतर दौड़ पूरी करनी है:

	पुरुष	महिला	टिप्पणी
दौड़	24 मिनट में 5 किमी.	8½ मिनट में 1.6 किमी.	लद्दाख क्षेत्र के अभ्यर्थियों के अलावा
	6½ मिनट में 1.6 किमी.	4 मिनट में 800 मीटर	लद्दाख क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए

11.4.1 महिला अभ्यर्थी जो जांच के परिणामस्वरूप 12 हफ्ते या उससे ज्यादा समय की गर्भवती पाई जाएगी, उसे अस्थाई तौर पर अनफ़िट घोषित कर दिया जाएगा और उसकी नियुक्ति पर प्रसव तक रोक रखी जाएगी। जिस रिक्ति के विरुद्द एक महिला अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा उसे उसके लिए आरक्षित रखा जाएगा। प्रसव की तिथि के 6 हफ्तों के बाद, पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उसकी शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) के लिए पुनः जांच की जाएगी। अगर वह फिट पाई जाती है, तो उसके लिए आरक्षित पद पर उसकी नियुक्ति की जा सकती है और समय समय पर संशोधित, सरकार के निदेशानुसार उसे वरिष्ठता का लाभ भी दिया जा सकता हैं।

11.5. शारीरिक मापदंड परीक्षा (पीएसटी) : उपर्युक्त पदों के लिए शारीरिक मापदंड निम्नानुसार है:-

11.5.1 ऊंचाई:

11.5.1.1 पुरुष: 170 से.मी.

11.5.1.2 महीला: 157 से.मी.

11.5.1.3 अभ्यर्थियों की कुछ श्रेणियों को उल्लिखित ऊंचाई में छूट प्रदान की जाती है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अनुमत्य ऊंचाई में छूट निम्नानुसार है:

क्र.सं.	के लिए छूट	पुरुष (से.मी.)	महीला (से.मी.)
(क)	अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी	162.5	150.0
(ख)	पूर्वोत्तर राज्यों के अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी	157.0	147.5
(ग)	वामपंथी उग्रवादी प्रभावित जिलों के अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी	160.0	147.5
(घ)	गढ़वाली, कुमाऊंनी, डोगरा, मराठों की श्रेणियों के अभ्यर्थियों और असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं	165.0	155.0

	कश्मीर राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए		
(ङ)	अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के अभ्यर्थियों के लिए	162.5	152.5
(च)	गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) जिसमें दार्जिलिंग जिले के तीन उप-मंडल, नामत: दार्जिलिंग, कालीम्पोंग और कुर्सियांग शामिल हैं और जिनमें इन जिलों के निम्नलिखित "मौज़स" उप-उपमंडल भी शामिल हैं:) लोहागढ़ चाय बागान (2) लोहागढ़ वन (3) रंगमोहन (4) बाराचेंगा (5) पानीघाटा (6) छोटा अदालपुर (7) पहारु (8) सुकना वन (9) सुकना भाग-1 (10) पंतपति वन -1 (11) महानदी वन (12) चंपसारी वन (13) सालारी छत भाग- ॥ (14) सितोंग वन (15) सिवोक हिल वन (16) सिवोक वन (17) छोटा चेंगा (18) निपानिया, के अभ्यर्थियों के लिए	157.0	152.5

11.5.2 **सीना:** पुरूष अभ्यर्थियों के सीने के माप के निम्नलिखित मानक होने चाहिए:

11.5.2.1 बिना फुलाए : 80 सेमी.

11.5.2.1 न्यूनतम विस्तार: 5 सेमी

11.5.2.3 अभ्यर्थियों की कुछेक श्रेणियों को सीने के माप में छूट दी गई है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए सीने के माप में छूट के मानक निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	**अभ्यर्थियों की श्रेणी**	**बिना फुलाए (सेमी में)**	**न्यूनतम विस्तार (सेमी में)**
(क)	अनुसूचित जनजातियों के सभी अभ्यर्थियों के लिए	76	5
(ख)	गढ़वाली, कुमाऊंनी, डोगरा, मराठा श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थी और असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए	78	5
(ग)	गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए जिसमें दार्जिलिंग जिले के तीन उप-मंडल, नामत: दार्जिलिंग, कालीम्पोंग और कुर्सियांग शामिल हैं तथा जिनमें इन जिलों के “मौजस” उप मंडल भी शामिल हैं: (1) लोहागढ़ चाय बागान (2) लोहागढ़ वन (3) रंगमोहन (4) बाराचेंगा (5) पानीघाटा (6) छोटा अदालपुर (7) पहारु (8) सुकना वन (9) सुकना भाग-1 (10) पंतपति वन -1 (11) महानदी वन (12) चंपसारी वन (13) सालारी छत भाग- ॥ (14) सितोंग वन (15) सिवोक हिल वन (16) सिवोक वन (17) छोटा चेंगा (18) निपानिया	77	5

11.5.2.4 महिला अभ्यर्थियों के सीने का माप नहीं लिया जाएगा। तथापि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सीना अच्छी तरह से विकसित है।

11.5.3 **<u>वजन:</u>** ऊंचाई और आयु के अनुपात में चिकित्सा मानकों के अनुसार

11.5.4 : छूट अर्थात ऊंचाई और सीने की माप के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच शा.मा.प. से पहले शा.क्ष.प. (दौड़) में अर्हता प्राप्त करने की बाद सीएपीएफ शा.मा.प/शा.क्ष.प. बोर्डों द्वारा की जाएगी। अनुसूचित जनजाति श्रेणी से इतर अन्य अभ्यर्थियों के लिए उपरोक्त वर्णित ऊंचाई और सीने (जैसा भी मामला हो) में छूट पीएसटी/पीईटी के समय सक्षम प्राधिकरी से अनुबंध-VIII के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र देने पर ही स्वीकार्य होगी । अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थी वैध अ.ज.जा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके छूट प्राप्त कर सकते हैं।

11.5.5 : जिन अभ्यर्थियों को शारीरिक मानकों अर्थात ऊंचाई, और सीने के अनुसार योग्य घोषित नहीं किया जाता है, यदि वे चाहें तो पीठासीन अधिकारी (पीओ) के माध्यम से केंद्र में नामित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उसी दिन अपील कर सकते हैं। अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम माना जाएगा और उसके बाद इस संबंध में कोई अपील या अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। शा.क्ष.प. (रेस) के संबंध में कोई अपील नहीं की जा सकती है।

11.5.6 : शा.मा.प/शा.क्ष.प. और वि.चि.प./पु.चि.प. किए जाने की जिम्मेदारी केवल के.स.पु.ब की होगी। आयोग शा.मा.प/शा.द.प. और वि.चि.प./पु.चि.प. बोर्ड के फैसले के खिलाफ किसी भी अभ्यावेदन/अपील/आरटीआई आवेदन/सीपीग्राम्स को स्वीकार नहीं करेगा।

11.6. <u>चिकित्सा परीक्षा:</u> शा.मा.प/शा.क्ष.प. में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के पूल में से अभ्यर्थियों को विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) के लिए चयनित किया जाएगा।

11.6.1 विस्तृत चिकित्सा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित दस्तावेजों की पुष्टि की जाएगी:

11.6.1.1 आयु, नाम और शैक्षिक योग्यता की पुष्टि के लिए मैट्रिकुलेशन/माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र।

11.6.1.2 सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अधिवास प्रमाणपत्र/ स्थायी निवास प्रमाणपत्र।

11.6.1.3 यदि लागू हो तो वैध एनसीसी प्रमाणपत्र

11.6.1.4 कार्यरत रक्षा कर्मियों से नोटिस के अनुबंध-III में यथानिर्धारित प्रारूप में प्रमाणपत्र।

11.6.1.5 भूतपूर्व सैनिकों से अनुबंध-IV में यथानिर्धारित प्रारूप में वचनबंध

11.6.1.6 आरक्षण/आयु में छूट मांगने वाले अभ्यर्थियों से इस विज्ञप्ति के अनुबंध-V, अनुबंध-VI और अनुबंध-VII में यथानिर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाणपत्र।

11.6.1.7 ऊंचाई/सीने की माप से संबंधित छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थियों से इस विज्ञप्ति के अनुबंध-VIII में यथानिर्धारित प्रारूप में प्रमाणपत्र।

11.6.1.8 इस विज्ञप्ति के पैरा-5.1 के तहत श्रेणी 04/05/06 में वर्णित दंगा पीड़ितों के आश्रित आवेदकों के संबंध में जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट से प्रमाणपत्र।

11.6.1.9 पश्चिम पाकिस्तानी शरणार्थियों से इस विज्ञप्ति के अनुबंध-XII के अनुसार निर्धारित प्रारूप में मूल निवास स्थान/पहचान प्रमाणपत्र।

11.6.2 शार्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की शारीरिक एवं चिकित्सा योग्यता का आकलन करने के लिए के.स.पु.ब. द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा जांच की जाएगी। अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा कें.स.पु.ब. और असम राइफल्स में राजपत्रित अधिकारियों व अराजपत्रित अधिकारियों के लिए भर्ती चिकित्सा परीक्षा हेतु समान दिशा-निर्देशों और गृह मंत्रालय के अशा. सं. ए-VI-1/2014/भर्ती (एसएसबी), दिनांकित 20.05.2015 तथा गृह मंत्रालय के का.ज्ञा.सं. ई.32012/एडीजी(मेड)/ डीएमईएंडआरएमई/डीए-1/2020(खंड फाइल)/1166, दिनांक 31.05.2021 के माध्यम से और सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित शर्तों के अनुसार चिकित्सा परीक्षा की जाएगी। उपर्युक्त आदेश निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:- https://www.mha.gov.in/sites/default/files/policedevison_17062021_0.pdf

12. परीक्षा में प्रवेश

12.1 उन सभी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधरित परीक्षा में बैठने हेतु रोल नंबर दिया जाएगा और प्रवेश-पत्र दिया जाएगा, जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तारीख और समय तक अपना पंजीकरण कराते हैं और जिनके आवेदन सुव्यवस्थित पाए जाते हैं और आयोग द्वारा परीक्षा की इस विज्ञप्ति में दी गई शर्तों के अनुसार अनंतिम या अस्थायी रूप से स्वीकार किए जाते हैं। तदनंतर, अर्हक अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले स्तरों के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे।

12.2 आयोग कंप्यूटर आधारित परीक्षा और शा.क्ष.प./शा.मा.प. के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा और इसलिए, अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक और चिकित्सा मानकों आदि की आवश्यकताओं के बारे में पढ़ने और उनके बारे में स्वयं को संतुष्ट करने की सलाह दी जाती है कि वे उक्त पद के लिए पात्र हैं। जांच किए जाने के समय यदि आवेदन में किए गए किसी भी दावे को पुष्ट नहीं पाया जाता है, तो अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

12.3 परीक्षा के सभी स्तरों के लिए प्रवेश पत्र केवल ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। परीक्षा के किसी भी स्तर के लिए प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय, कर्मचारी चयन आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय और सीआरपीएफ की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

12.4 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइटों पर ऑनलाइन जारी किए जाएंगे और पीईटी / पीएसटी और चिकित्सा परीक्षा (डीएमई / आरएमई) के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र सीआरपीएफ द्वारा अपनी वेबसाइट यानी http://crpf.gov.in पर जारी किए जाएंगे। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग मुख्यालय (अर्थात https://ssc.nic.in), सीआरपीएफ और आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों, जिसके अधिकार क्षेत्र में अभ्यर्थी द्वारा चुने गए परीक्षा केंद्र स्थित हैं (ब्योरा पैरा 10.1 पर) की वेबसाइटों को नियमित रूप से देखते रहें।

12.5 परीक्षा के बारे में सूचनाएं, जिसमें परीक्षा की समय-सारणी और प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा का शहर/केंद्र की जानकारी होगी, परीक्षा की तारीख से लगभग दो सप्ताह पहले आयोग के संबंधित क्षेत्र केंद्रों की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तारीख से एक सप्ताह पूर्व तक वेबसाइट पर अपना विवरण प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल आवेदन जमा करने के अपने प्रमाण के साथ आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयसे संपर्क करना चाहिए। ऐसा न करने पर वह परीक्षा में बैठने के अपने दावे पर विचार किए जाने से वंचित हो जाएगा।

12.6 अभ्यर्थी को आयोग के साथ कोई भी पत्राचार करते समय अपना पंजीकरण आईडी, पंजीकृत ईमेल आईडी, अपने नाम के साथ-साथ अपना मोबाइल नम्बर, जन्म तिथि और परीक्षा का नाम अवश्य लिखना चाहिए। इन विवरणों के न दिए जाने पर अभ्यर्थी के पत्राचार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

12.7 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेश प्रमाणपत्र डाउनलोड करने की सुविधा परीक्षा से लगभग 3-7 दिन पहले संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। इसी प्रकार पीईटी/पीएसटी और मेडिकल परीक्षा (डीएमई/आरएमई) के लिए प्रवेश प्रमाणपत्र डाउनलोड करने की सुविधा संबंधित परीक्षा से लगभग 2 सप्ताह पहले सीआरपीएफ की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट परीक्षा हॉल में लाना होगा।

12.8 सीआरपीएफ की वेबसाइट से पीएसटी/पीईटी और डीएमई/आरएमई के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में असमर्थता के मामले में, अभ्यर्थियों को पीईटी/पीएसटी या डीएमई/आरएमई से कम से कम एक सप्ताह पहले सीआरपीएफ से संपर्क करना चाहिए। पीईटी / पीएसटी और चिकित्सा परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में, अभ्यर्थी सीआरपीएफ भर्ती हेल्पलाइन नंबर 011-26160255 पर संपर्क कर सकते हैं।

12.9 प्रवेश प्रमाण-पत्र के अलावा, कम से कम हाल ही की दो पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो, मूल वैध फोटो-आईडी साक्ष्य जिसमें वही **जन्म तिथि** लिखी हो जो प्रवेश प्रमाण-पत्र में छपी है, लाना अनिवार्य है, जैसे:

12.9.1 आधार कार्ड / ई-आधार का प्रिंटआउट,
12.9.2 मतदाता पहचान-पत्र,
12.9.3 ड्राइविंग लाइसेंस,
12.9.4 पैन कार्ड,
12.9.5 पासपोर्ट,
12.9.6 विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल द्वारा जारी पहचान पत्र,
12.9.7 नियोक्ता द्वारा जारी पहचान-पत्र (सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम/निजी)
12.9.8 रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतभूर्व सैनिक की सेवा निवृत्ति पंजिका
12.9.9 केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी वैद्य फोटो पहचान पत्र

12.10 यदि फोटो पहचान पत्र पर जन्मतिथि अंकित नहीं है, तो उम्मीदवार को अपनी **जन्म-तिथि** के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज (जैसे- सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक सर्टिफिकेट, अंक-पत्र; जन्म प्रमाण-पत्र, श्रेणी प्रमाण-पत्र) लाना चाहिए। यदि प्रवेश प्रमाण-पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्मतिथि के समर्थन में लाए गए फोटो पहचान पत्र/प्रमाण पत्र मेल नहीं खाते हैं तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

12.11 अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र में उल्लिखित अन्य दस्तावेज भी लाने होंगे।

12.13 धुंधली तस्वीर और/या हस्ताक्षर वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।

13. चयन का तरीका:

13.1 इस भर्ती प्रक्रिया में कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सी.बी.ई.), शारीरिक क्षमता परीक्षा (शा.क्ष.प.), शरीरिक मापदंड परीक्षा (शा.मा.प.), चिकित्सा परीक्षा (डीएमई/आरएमई) और दस्तावेज सत्यापन शामिल होंगे।

13.2 नीचे दिए गए कट-ऑफ अंक (एनसीसी प्रमाणपत्र धारकों को बोनस अंक जोड़े बिना) प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अगले चरण यानी पीईटी/पीएसटी में शॉर्ट-लिस्टिंग के लिए योग्य माना जाएगा:

13.2.1 आ.क.व./भू.पू.सै./अना. : 35%
13.2.2 अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व. : 33%

13.3 एनसीसी प्रमाणपत्र धारकों को अनंतिम रूप से निम्नलिखित प्रोत्साहन अंक दिए जाएंगे जो अभ्यर्थियों के सामान्यीकृत अंकों में जोड़े जाएंगे:

13.3.1 एनसीसी 'सी' सर्टिफिकेट : 5 अंक
13.3.2 एनसीसी 'बी' सर्टिफिकेट : 3 अंक
13.3.3 एनसीसी 'ए' प्रमाणपत्र : 2 अंक

13.4 पीईटी/पीएसटी में उपस्थित होने के लिए पुरुष और महिला अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (यदि लागू हो तो एनसीसी बोनस अंकों सहित) में उनकी योग्यता के आधार पर राज्य/क्षेत्र-वार और श्रेणी-वार शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में योग्यता के आधार पर पीईटी/पीएसटी के लिए चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या का लगभग 12 गुना होगी। एस.एस.एफ. की रिक्तियों के लिए अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है।

13.5 पीईटी / पीएसटी में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को अगले चरण यानी विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) और दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के लिए शॉर्ट-लिस्टिंग के लिए योग्य माना जाएगा।

13.6 पीईटी/पीएसटी में अर्हता प्राप्त करने वाले पुरुष और महिला अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (यदि लागू हो तो एनसीसी बोनस अंकों सहित) में उनकी योग्यता के आधार पर डीएमई/ डीवी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में योग्यता के आधार पर डीएमई/डीवी के लिए चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या का लगभग 3 गुना होगी। एस.एस.एफ. की रिक्तियों के लिए अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है।

13.7 दस्तावेज़ सत्यापन (अर्थात अभ्यर्थियों से आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र / दस्तावेजों का संग्रह और मूल दस्तावेजों के साथ उनका सत्यापन) सीएपीएफ द्वारा विस्तृत चिकित्सा परीक्षा के साथ किया जाएगा।

13.8 यदि अभ्यर्थी ने एनसीसी प्रमाणपत्र धारक होने का दावा किया है और वह डीवी के समय वैध एनसीसी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है, तो अभ्यर्थी को अनंतिम रूप से दिए गए प्रोत्साहन अंक वापस ले लिए जाएंगे।

13.9 अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में निम्नलिखित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/संगठनों की वरीयता को **अग्रता के क्रम में** देना होगा। सभी छह वरीयताओं को भरना अनिवार्य होगा:

13.9.1 सीमा सुरक्षा बल (ए)
13.9.2 केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (बी)
13.9.3 सशस्त्र सीमा बल (डी)
13.9.4 भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ई)
13.9.5 असम राइफल्स (एफ)
13.9.6 सचिवालय सुरक्षा बल (एच)

13.10 पीईटी / पीएसटी और डीवी / मेडिकल परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को अंतिम योग्यता-सूची में शामिल करने पर विचार किया जाएगा।

13.11 कंप्यूटर आधारित परीक्षा (एनसीसी बोनस अंकों सहित) में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त सामान्यीकृत अंकों के आधार पर प्रत्येक श्रेणी, नामत: अना., अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व., आ.क.व. में अभ्यर्थियों के अंतिम चयन के साथ-साथ बल आवंटन, पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में और जहां भी लागू हो सीमावर्ती क्षेत्रों और आतंकवाद / नक्सल प्रभावित जिलों के लिए अलग-अलग किया जाएगा। एस.एस.एफ. के लिए अभ्यर्थियों का चयन अखिल भारतीय आधार पर किया जाएगा।

13.12 अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/संगठनों का आबंटन 'कंप्यूटर आधारित परीक्षा (एनसीसी बोनस अंक सहित) में योग्यता-सह-'अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदनों में उनके द्वारा दी गयी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/संगठनों की वरीयता' के आधार पर किया जाएगा। **अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में वरीयता के क्रम में बलों/संगठनों की वरीयताओं को देते समय अत्यधिक सावधान रहें तथा इन्हें सतर्कतापूर्वक भरें। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के प्रस्तुतीकरण के पश्चात, आयोग द्वारा किन्हीं भी परिस्थितियों में वरीयता में परिवर्तन के किसी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

13.13 अभ्यर्थियों के नाम पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा तथा उसके बाद ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना तथा विस्तृत चिकित्सा परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन के समय संगत अधिवास प्रमाणपत्र के उत्तरवर्ती प्रस्तुतीकरण के आधार पर सीमावर्ती जिलों, आतंकवाद/नक्सलवाद प्रभावित जिलों की रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा। **अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में अधिवास राज्य और जिले के बारे में सूचना उपलब्ध कराते समय अत्यधिक सावधान रहें तथा यह सूचना सतर्कता पूर्वक भरें । ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के प्रस्तुतीकरण के पश्चात् आयोग द्वारा किन्हीं भी परिस्थितियों में, अधिवास राज्य और जिले में परिवर्तन के किसी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में अभ्यर्थी द्वारा उल्लिखित जिला और/अथवा राज्य और विस्तृत चिकित्सा परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन के समय उसके द्वारा प्रस्तुत अधिवास प्रमाणपत्र में कोई भिन्नता है तो उसकी अभ्यर्थिता को तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा तथा उसे विस्तृत चिकित्सा परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**

13.14 अजा, अजजा, अपिव और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के वे अभ्यर्थी जो अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों के साथ मानकों में छूट दिए बिना ही अपनी योग्यता से चयनित होते हैं, उन्हें आरक्षित रिक्तियों के समक्ष समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यता सूची में उनकी समग्र स्थिति के अनुसार अनारक्षित रिक्तियों में सहयोजित किया जाएगा। आरक्षित रिक्तियां अलग से अजा, अजजा, अपिव और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।

13.15 अजा, अजजा, अपिव तथा भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थी, जो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए निर्धारित मानकों की अपेक्षा मानकों अर्थात आयु सीमा, ऊँचाई तथा सीने की माप, अनुभव अथवा योग्यता, अवसरों की अनुमत्य संख्या में छूट तथा विस्तारित एक्सटेंडिड जोन ऑफ कंसीडरेशन के आधार पर अर्हता प्राप्त करते हैं, तो उनके योग्यता क्रम पर ध्यान दिए बिना, ऐसे अजा, अजजा, अपिव तथा भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थियों की आरक्षित रिक्तियों में गणना की जाए। जहां तक कि भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थियों का संबंध है भूतपूर्व सैनिक की आयु में से उसके द्वारा प्रदान की गई सैन्य सेवा की अवधि की कटौती आरक्षित तथा अनारक्षित पदों के लिए अनुज्ञेय है तथा आयु के संबंध में प्रदान की गई इस छूट को मानकों में छूट के रूप में परिभाषित नहीं किया जाएगा ।

13.16 यदि कोई जिला सीमावर्ती क्षेत्र के साथ साथ नक्सलवाद/आंतकवाद प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत है तो रिक्तियों को पहले सीमावर्ती क्षेत्र तथा उसके बाद नक्सलवाद/आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र के क्रम में भरा जाएगा।

13.17 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश पूर्णतया अनन्तिम होगा, बशर्ते वे पात्रता की निर्धारित शर्ते पूरी करते हों । यदि किसी भी समय कंप्यूटर आधारित परीक्षा, शा.क्ष.प./शा.मा.प. और चिकित्सा परीक्षा और साथ ही, नियुक्ति प्रस्ताव, बल/संगठन में शामिल होने से पहले अथवा बाद में जाँच करने पर यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग/के.स.पु.बलों द्वारा उनकी अभ्यर्थिता/पद के लिए चयन को निरस्त कर दिया जाएगा।

13.18 परीक्षा में सफलता से तब तक नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होता जब तक कि सरकार इस तरह की जांच के बाद संतुष्ट नहीं हो जाती है कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी तरह से उपयुक्त है।

13.19 यदि परीक्षा के किसी भी पेपर/चरण में कट-ऑफ अंक से अधिक अंक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी किसी भी कारण से बाद के चरण/अंतिम चयन के लिए योग्य नहीं है, तो उसे परिणाम की घोषणा के दो महीने के भीतर या परीक्षा के अगले चरण के आयोजन से दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में अभ्यावेदन करना होगा। ।

13.20 यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और उसे अंतिम परिणाम घोषित होने के एक वर्ष की अवधि के भीतर आयोग या सीएपीएफ/संगठन से कोई पत्राचार प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तुरंत संबंधित सीएपीएफ/संगठन के साथ संपर्क करना चाहिए।

14. <u>बराबरी (टाई) के मामलों का निपटारा</u>

कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों (एनसीसी बोनस अंकों सहित) में बराबरी होने की स्थिति में, ऐसे मामलों का निपटारा एक के बाद एक निम्नलिखित मानदंडों को लागू करके किया जाएगा, जब तक कि बराबरी का निपटारा नहीं हो जाता :

14.1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के भाग-क में प्राप्तांक।
14.2 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के भाग-ख में प्राप्तांक।
14.3 जन्म तिथि, अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाती है।
14.4 नामों का वर्णानुक्रम

15. कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाईः

यदि अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान किसी भी स्तर पर निम्नलिखित में से किसी के लिए भी दोषी पाए जाते हैं तो इस परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी और आयोग की परीक्षाओं से उन्हें निम्नलिखित अवधि के लिए वारित कर दिया जाएगा:

क्रम संख्या	कदाचार का प्रकार	वारित अवधि
1	परीक्षा भवन से परीक्षा संबंधी सामग्री, जैसे- ओएमआर शीट, रफ शीट, प्रवेश पत्र की आयोग की प्रति, उत्तर शीटें लेकर बाहर जाना या	2 वर्ष

	परीक्षा के आयोजन के दौरान इन्हें किसी अनधिकृत व्यक्ति को देना।	
2	परीक्षा के दौरान बिना सूचित किए परीक्षा स्थल को छोड़ना	2 वर्ष
3	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि के साथ दुर्व्यवहार करना, उन्हें भयभीत करना या डराना-धमकाना।	3 वर्ष
4	परीक्षा के आयोजन में बाधा पहुंचाना/ अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए उकसाना	3 वर्ष
5	गलत अथवा झूठे वक्तव्य देना, महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना, जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना।	3 वर्ष
6	अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लेना।	3 वर्ष
7	'स्विच ऑन' या 'स्विच ऑफ' मोड में मोबाइल फोन रखना।	3 वर्ष
8	नियमों का उल्लंघन करके एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार बैठना।	3 वर्ष
9	कोई अभ्यर्थी जो उसी परीक्षा में परीक्षा संबंधी मामलों को देख रहा हो।	3 वर्ष
10	परीक्षा से संबंधित अवसंरचना/उपकरणों को नुकसान पहुंचाना।	5 वर्ष
11	जाली प्रवेश-पत्र, पहचान-पत्र से परीक्षा देना।	5 वर्ष
12	परीक्षा के दौरान आग्नेय शस्त्रों /हथियारों को रखना।	5 वर्ष
13	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि पर हमला करना, उन पर बल प्रयोग करना, किसी भी तरीके से उन्हें शारीरिक हानि पहुंचाना।	7 वर्ष
14	आग्नेय शस्त्रों/हथियारों से परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों को डराना-धमकाना।	7 वर्ष
15	परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, जैसे- कागज या शारीरिक अंगों आदि पर लिखित सामग्री जैसे अनधिकृत स्रोतों से नकल करना।	7 वर्ष
16	परीक्षा कक्ष में ब्लूटूथ उपकरण, स्पाई कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने पास रखना	7 वर्ष
17	छद्मवेषन/किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्यसाधन कराना।	7 वर्ष
18	स्नेपशाट लेना, प्रश्नपत्रों या परीक्षा सामग्री, लैब आदि का वीडियो बनाना।	7 वर्ष
19	रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर/एप/लैन/वैन इत्यादि के माध्यम से परीक्षा टर्मिनलों को साझा करना।	7 वर्ष
20	परीक्षा से पहले, उसके दौरान या उसके बाद किसी भी समय परीक्षा सर्वरों, डाटा या परीक्षा प्रणाली को हैक करने या जोड-तोड़ करने की कोशिश करना।	7 वर्ष

15.2 आयोग यदि उचित समझे तो मामले को पुलिस/जांच एजेंसियों को भी रिपोर्ट कर सकता है। इसके अतिरिक्त, आयोग संबंधित अधिकारियों/फोरेंसिक विशेषज्ञों आदि से मामले की जांच कराने के लिए भी उचित कार्रवाई कर सकता है।

16. <u>आयोग का निर्णय अंतिम</u> : पात्रता, आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षा (ओं) के आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन तथा योग्यता सूची

तैयार करने और बल आबंटन संबंधी सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।

17. **न्यायालय का क्षेत्राधिकार:** इस भर्ती से संबंधित कोई विवाद उस न्यायालय/न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिस स्थान के न्याय क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, जहां अभ्यर्थी कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ है।

18. दिनांक 21.06.2016 के का.ज्ञा.सं. 39020/1/016/स्था (ख) के तहत डीओपीटी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बेरोजगार अभ्यर्थियों के रोजगार से संबंधित अवसरों में पहुंच बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि आयोग अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद अपने पोर्टल पर भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और रैंकिंग उपलब्ध कराएगा। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद, अंतिम परीक्षा में अभ्यर्थियों के रोल नंबर, रैंकिंग के अलावा अभ्यर्थियों का नाम, माता-पिता / पति का नाम, शैक्षिक योग्यता, जन्म तिथि, श्रेणी, लिंग (पुरुष / महिला), अर्हक परीक्षा में कुल अंक, ई-मेल पते सहित पूरा पता वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। तथापि, अभ्यर्थियों के पास आवेदन भरने के समय अपनी जानकारी को सार्वजनिक रूप से प्रकट न करने के लिए प्रकटीकरण संबंधी योजना से बाहर निकलने का विकल्प होगा।

19. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

1.	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।
2.	अभ्यर्थियों को उनके हित के लिए सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन अंतिम तारीख से काफी पहले जमा कर दें और अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यंत व्यस्तता के कारण कर्मचारी चयन आयोग की वेसाइट की विसंबंधन/लॉगइन करने में असमर्थता या विफलता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें।
3.	अभ्यर्थियों से दस्तावेजों का संग्रह और उनका सत्यापन के.स.पु.बल द्वारा विस्तृत चिकित्सा परीक्षा के समय किया जाएगा। अतः अभ्यर्थिता को केवल अनंतिम रूप से स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले सलाह दी जाती है कि वे शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक मानकों इत्यादि की आवश्यकताओं को पूरा करें और स्वयं संतुष्ट हो कि वे पदों के लिए पात्र हैं। जब विस्तृत चिकित्सा परीक्षा के दौरान दस्तावेजों की संवीक्षा की जाएगी, तब आवेदन में किए गए किसी भी दावे को प्रमाणित नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थिता सीधे निरस्त कर दी जाएगी।
4.	इस विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग/ भूपूसै के रूप में आरक्षण का लाभ उठाने या इस विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार कोई अन्य छूट के इच्छुक अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इस तरह के आरक्षण /छूट के हकदार हैं। विस्तृत चिकित्सा परीक्षा के दौरान प्रमाणपत्र की प्रतियां मांगे जाने पर उनके पास भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में संबंधित प्रमाणपत्र होना चाहिए ।
5.	**अजा, अजजा अथवा अपिव श्रेणी की जाति से संबंधित अभ्यर्थी जो एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवासन करते हैं, जहां अभ्यर्थियों की जाति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, ऐसे अभ्यर्थियों को एक विकल्प सूचित करना होगा कि क्या वे मूल राज्य के आरक्षण का लाभ उठाना चाहते है या नहीं या प्रवासी राज्य से अनारक्षित उम्मीदवार के रूप में परीक्षा में बैठना चाहते है। इस तरह के विकल्प को अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में देना होगा। आवेदन पत्र जमा करने के बाद, इस तरह के विकल्प बदलने के अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी आरक्षण का लाभ लेने का विकल्प चुनता है, तो उसे आवेदन पत्र में वर्तमान निवास के जिला और**

	राज्य के साथसाथ-मूल जिला और राज्य की जानकारी देनी होगी। ऐसे मामलों में उनकी अभ्यर्थिता पर मूल राज्य से ही विचार किया जाएगा।
6.	दिव्यांग व्यक्ति (दि.व्य) . इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं।
7.	अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में सही और सक्रिय ई-मेल पता तथा मोबाइल संख्या भरने की सलाह दी जाती है क्योंकि आयोग/के.स.पु.ब. अभ्यर्थियों से ई-मेल/एस.एम.एस. के माध्यम से पत्राचार कर सकता है।
8.	देय शुल्कः 100/- रु. (एक सौ रुपए मात्र)। महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (अजा),अनुसूचित जनजाति (अजजा) तथा भूतपूर्व सैनिक (भू.सै.) से संबंधित अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट प्राप्त है ।
9.	अभ्यर्थियों को मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में उल्लेख के अनुसार ही अपना नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम और माता का नाम लिखना चाहिए अन्यथा दस्तावेज सत्यापन के समय अथवा आयोग के ध्यान में आने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी ।
10.	ऑनलाईन आवेदन फॉर्म में अभ्यर्थियों को जेपीईजी प्रारूप (20 केबी से 50 केबी) में स्कैन किए गए रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो अपलोड करनी होगी। फोटोग्राफ परीक्षा विज्ञप्ति प्रकाशित होने के तीन महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और जिस तारीख को फोटो ली गई है, वह फोटोग्राफ पर अंकित होनी चाहिए। **फोटोग्राफ पर बिना तिथि अंकित आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा।** फोटोग्राफ की छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी और चश्मे का होना चाहिए और उसमें दोनों कान दिखाई देने चाहिए।
11.	**अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में अधिवास राज्य और जिला के बारे में जानकारी प्रदान करते समय बहुत सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। आवेदन पत्र जमा करने के बाद आयोग द्वारा किसी भी परिस्थिति में राज्य और जिला के परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा । यदि विस्तृत चिकित्सा परीक्षा के समय अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अधिवास प्रमाणपत्र और ऑनलाइन आवेदन पत्र में उनके द्वारा उल्लिखित जिला और/अथवा राज्य में कोई भिन्नता पाई जाती है तो, उनकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा और उन्हें विस्तृत चिकित्सा परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**
12.	**अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्राथमिकता के क्रम में के. स.पु.बलों/ संगठनों की वरीयता देते समय बहुत सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है । आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात वरीयता में किसी भी परिवर्तन के अनुरोध पर आयोग द्वारा किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।**
13.	इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों द्वारा केवल एक ही आवेदन, ऑनलाइन जमा कराया जाए। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र भरते समय सावधानी बरतें। अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने के मामले में आयोग द्वारा सभी आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। यदि एक अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन जमा करता है तथा परीक्षा में एक से अधिक बार बैठता (किसी भी स्तर पर) है तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी तथा उसे आयोग की परीक्षाओं से नियमानुसार वारित कर दिया जाएगा।
14.	अपाठ्य /धुंधलें फोटोग्राफ/हस्ताक्षर वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।
15.	एक बार जमा किए गए आवेदन पत्र के किसी भी विवरण में परिवर्तन /सुधार के अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
16.	जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा तो इसे 'अनंतिम' रूप से स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने रिकार्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट आऊट लेना चाहिए। सामान्यतः आयोग को किसी भी स्तर पर 'आवेदन पत्र' का प्रिंट आऊट भेजने की जरूरत नहीं है।
17.	अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में हाल ही के दो पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो और फोटो लगा एक पहचान साक्ष्य, जैसे- आधार कार्ड/ई-आधार का प्रिंट आउट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, पेन कार्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज/सरकारी कार्यालय या कोई अन्य कार्यालय जहां अभ्यर्थी कार्य कर रहा हो, द्वारा जारी पहचान पत्र, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई भूपूसै की सेवा निवृत्ति पंजिका या केंद्र/राज्य सरकार

	द्वारा जारी किया गया फोटोयुक्त पहचानपत्र मूलरूप में अपने साथ लाना चाहिए, जिसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी । यदि फोटो पहचान पत्र में जन्म तिथि नहीं है तो अभ्यर्थी को जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त प्रमाणपत्र लाना होगा ।
18.	किसी प्रतिष्ठित नाम/फोटो के दुरूपयोग से नकली/जाली आवेदन/पंजीकरण करने के मामले में अभ्यर्थी /साइबर कैफे को उत्तरदायी समझा जाएगा तथा उनके खिलाफ साइबर/आईटी अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त विधिक कार्रवाई की जाएगी ।
19.	अभ्यर्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि वे युद्ध बल के लिए आवेदन कर रहे हैं और भर्ती प्रक्रिया में उन्हें पूर्ण शारीरिक और मानसिक तैयारी के साथ भाग लेना चाहिए और वे, भर्ती के किसी भी चरण के दौरान होनी वाली किसी भी घटना/दुर्घटना के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होंगे। भर्ती एजेंसी/केन्द्र ऐसी किसी अनपेक्षित घटना/दुर्घटना के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। अभ्यर्थी इस भर्ती में अपने जोखिम पर ही भाग लेंगे।
20.	शारीरिक दक्षता परीक्षा/ शारीरिक मानक परीक्षा तथा विस्तृत चिकित्सा परीक्षा/पुनर्विचार चिकित्सा परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा उनकी वेबसाइट **www.crpf.gov.in** पर जारी/ अपलोड किया जाएगा, जबकि कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेशपत्र कर्मचारी चयन आयोग की संबंधित वेबसाईट पर जारी/अपलोड किया जाएगा। परीक्षा के किसी भी स्तर पर प्रवेशपत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। अतः प्रवेशपत्र को सही समय पर डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को नियमित आधार पर के.रि.पु.बल की **www.crpf.gov.in** कचआ-मुख्यालय तथा क.च.आ. के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाईट को देखने की सलाह दी जाती है।
21.	अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा/ शारीरिक मानक परीक्षा तथा विस्तृत चिकित्सा परीक्षा/ पुनर्विचार चिकित्सा परीक्षा के प्रवेशपत्र से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए विशेष चयन बोर्ड (प्रकोष्ठ) भर्ती शाखा, महानिदेशालय, के.रि.पु.बल, पूर्व ब्लॉक संख्या 7, लेवल-4, सेक्टर-01, आर. के. पुरम, नई दिल्ली -110066 अथवा उनकी हेल्पलाईन संख्या 011-26160625 से संपर्क कर सकते हैं।
22.	प्रत्येक शारीरिक मानक परीक्षा केंद्र में शारीरिक मानक परीक्षा के लिए अपीलीय प्राधिकारी उपलब्ध होगा । यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक मानक परीक्षा बोर्ड के निर्णय से संतुष्ट या सहमत नहीं होता है तो वह उसी दिन संबंधित भर्ती केंद्र में केवल पीठासीन अधिकारी के माध्यम से अपीलीय प्राधिकारी से अपील कर सकता है । अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और इसके बाद इस संबंध में आगे किसी अपील या अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा (दौड़) के लिए कोई अपील स्वीकार्य नहीं होगी ।
23.	यदि कोई भी अभ्यर्थी जानबूझ कर सिर की चोट (सूजन/ फूलना) का बहाना करता है तथा ऊंचाई में विशेषाधिकार पाने के लिए सिर पर ईमली रखता है तो भर्ती की आगे की प्रक्रिया के लिए इस तरह के अभ्यर्थियों को वारित कर दिया जाएगा ।
24.	शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को यदि ऊर्जावान दवा के प्रभाव में पाया जाता है तो उसे भर्ती की आगे की प्रक्रिया के लिए वारित कर दिया जाएगा ।
25.	अभ्यर्थी आवेदन भरने/जमा करने तथा कंप्यूटर आधारित परीक्षा से संबंधित यदि कोई स्पष्टीकरण चाहते है तो निम्नलिखित क्षेत्रीय हेल्पलाईनों से संपर्क कर सकते है: (i) क.च.आ. (म.क्षे.), प्रयागराज 0532 2460511, 0532 6541021 (ii) क.च.आ.(पू.क्षे), कोलकाता 09477461228, 033 22902230 (iii) क.च.आ. (के.क.क्षे.), बेंगलुरु 080 25502520, 09483862020 (iv) क.च.आ. (म.प्र.क्षे), रायपुर 0771 2282507, 0771 2282678 (v) क.च.आ. (पूर्वो क्षे.) गुवाहाटी 09085073593, 09085015252 (vi) क.च.आ. (उ.क्षे.), नई दिल्ली 011 24363343 (vii) क.च.आ. (पश्चि.क्षे.), चंडीगढ़ 0172 2749378, 0172 2744366 (viii) क.च.आ. (द.क्षे.), चेन्नई 09445195946, 044 28251139 (ix) क.च.आ. (प.क्षे.), मुंबई 09869730700, 07738422705 (x) के.रि.पु.बल हेल्पलाइन संख्या 011 26160255

26.	यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी टियर/स्तर में कट–ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करता है और किसी कारण से तदनंतर स्तर / अंतिम चयन में अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर या परीक्षा के अगले चरण से दो सप्ताह पहले जो भी पहले हो, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों / उप क्षेत्रीय कार्यालयों में अभ्यावेदन जमा करना चाहिए।
27.	यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और परिणाम घोषित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उसे आयोग अथवा संबंधित प्रयोक्ता विभाग से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल संबंधित प्रयोक्ता विभाग से संपर्क करना चाहिए।

अनुबंध–I

(ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रिया)

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

I. एक बारगी पंजीकरण

II. परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरना

भाग –I (एक बारगी पंजीकरण)

1. कृपया ऑनलाइन 'पंजीकरण–प्रपत्र' और 'आवेदन–पत्र' भरने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
2. एकबारगी पंजीकरण भरने से पहले निम्नलिखित सूचनाएं/दस्तावेज तैयार रखें:
   - क) मोबाइल नंबर (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)
   - ख) ई–मेल आईडी (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।
   - ग) आधार संख्या। यदि आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया निम्नलिखित आईडी नंबरों में से एक दें। (आपको बाद के चरणों में मूल दस्तावेज़ को दिखाना होगा)
     - i. वोटर आईडी कार्ड
     - ii. पैन
     - iii. पासपोर्ट
     - iv. ड्राइविंग लाइसेंस
     - v. स्कूल/कॉलेज आई डी
     - vi. नियोक्ता आईडी (सरकारी/पीएसयू/प्राइवेट)
   - घ) मैट्रिक (10वीं) की परीक्षा पास करने का बोर्ड, अनुक्रमांक और वर्ष के बारे में जानकारी।
   - ङ) यदि आप किसी विशिष्ट दिव्यांगता से पीड़ित हैं, तो दिव्यांगता प्रमाण–पत्र संख्या।

3. एक बारगी पंजीकरण के लिए, http://ssc.nic.in पर 'Log in' सेक्शन में दिए गए लिंक 'Register Now' पर क्लिक करें।

4. एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित सूचनाएं भरनी होंगी:
   - क) मूलभूत विवरण
   - ख) अतिरिक्त जानकारियां तथा संपर्क विवरण
   - ग) स्कैन किए गए पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर अपलोड करना।

5. **'एक बारगी पंजीकरण प्रपत्र' भरने के लिए कृपया निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें:**
   - क) सत्यापन के उद्देश्य से और किसी गलती से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विवरणों (अर्थात आधार संख्या, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि इत्यादि) की प्रविष्टि पंजीकरण प्रपत्र के संगत कॉलमो में दो बार की जानी अपेक्षित है। यदि मूल डाटा और

सत्यापन डाटा कॉलम मेल नहीं खाते हैं तो इसका संकेत लाल रंग के पाठ में दिया जाएगा ।

ख) क्रम संख्या-1: आधार संख्या/ पहचान पत्र और इसकी संख्या के बारे मे जानकारी प्रदान करें। इन नम्बरों में से कोई एक नम्बर दिया जाना अपेक्षित है।

ग) क्रम संख्या-2: अपना नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसा मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है । यदि मैट्रिकुलेशन के पश्चात आपने अपने नाम में कोई बदलाव किया है, तो कृपया इसका उल्लेख 2ग और 2घ में करें।

घ) क्रम संख्या-3: अपने पिता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।

ङ) क्रम संख्या-4: अपनी माता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।

च) क्रम संख्या-5: अपनी जन्मतिथि **ठीक वैसी ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दी गई है ।

छ) क्रम संख्या-6: मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के विवरण में निम्नलिखित शामिल है:

i. शिक्षा बोर्ड का नाम
ii. अनुक्रमांक
iii. उत्तीर्ण होने का वर्ष

ज) क्रम संख्या -7: लिंग का विवरण प्रदान करें।

झ) क्रम संख्या- 8: शैक्षणिक योग्यता के स्तर (सर्वोच्च) की सूचना प्रदान करें।

ञ) क्रम संख्या- 9: आपका मोबाइल नंबर। यह एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि इसे 'वन टाइम पासवर्ड' (ओटीपी) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि कोई भी जानकारी जो आयोग संप्रेषित करना चाहता है, केवल इस मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड/पंजीकरण संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपका मोबाइल नंबर उपयोग किया जाएगा।

ट) क्रम संख्या-10: आपका ईमेल आईडी। यह एक सक्रिय ईमेल आईडी होना चाहिए क्योंकि इसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा । यह भी ध्यान दिया जाए कि आयोग जो भी जानकारी आपको देना चाहेगा, केवल इसी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड/ पंजीकरण की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपकी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।

ठ) जब क्रम संख्या 1 से 10 में प्रदान किए गए मूल विवरण को सहेजा जाता है, तो आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। पुष्टि होने पर, आपके डाटा को सहेजा जाएगा तथा अपके पंजीकरण संख्या को आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा । आपका पंजीकरण आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।

ड) आपको 14 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसमें विफल होने पर आपके अब तक के सहेजे गए पंजीकरण विवरण हटा दिए जाएंगे।

ण) अपनी पंजीकृत संख्या को यूजर नाम और आपके मोबाइल और ईमेल पर आपको प्रदान किए गए ऑटो जेनरेटेड पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करें। पहले लॉगिन पर संकेत मिलने पर अपना पासवर्ड बदलें।

ढ) पासवर्ड के सफलतापूर्वक परिवर्तन करने के बाद, बदले गए पासवर्ड तथा पंजीकरण संख्या का उपयोग करके आपको फिर से लॉगिन करना होगा।

ण) सफलतापूर्वक लॉगिन करने पर, आपके द्वारा अब तक भरे गए 'मूलभूत विवरण' के बारे में जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। यदि अपेक्षित हो तो आप इसमें संपादन कर सकते है अथवा अपना एक बारगी पंजीकरण पूरा करने के लिए नीचे दिए गए 'Next ' बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं।

त) क्रम संख्या-11: अपनी श्रेणी के बारे में जानकारी प्रदान करें।

थ) क्रम संख्या-12: अपनी राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी प्रदान करें

द) क्रम संख्या -13: दृश्यमान पहचान चिह्न के बारे में जानकारी प्रदान करें। आपको परीक्षा के विभिन्न चरणों में उपरोक्त पहचान चिह्न दिखाना पड़ सकता है।

ध) क्रम संख्या-14: कृपया यदि कोई विशिष्ट दिव्यांगता हो तो उसकी जानकारी दें। यदि आप किसी विशिष्ट दिव्यांगता से पीड़ित है, जोकि सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त हो, तो दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या प्रदान करें।

न) क्रम संख्या-15 से 18: अपने स्थायी और वर्तमान पते के बारे में जानकारी प्रदान करें। डेटा को सहेजें और पंजीकरण प्रक्रिया के अंतिम भाग को भरने के लिए आगे बढ़ें।

प) प्रदान की गई जानकारी को सहेजें। ड्राफ्ट प्रिंट-आउट ले तथा 'अंतिम सबमिट' से पहले, प्रदान की गई जानकारी की अच्छी तरह से समीक्षा करें।

फ) 'घोषणा' को ध्यान से पढ़ें और यदि आप घोषणा से सहमत हैं तो 'I Agree' पर क्लिक करें।

ब) 'अंतिम सबमिट' पर क्लिक करने पर विभिन्न ओटीपी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजे जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको दोनों ओटीपी में से एक ओटीपी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में दर्ज करना होगा।

भ) मूलभूत सूचनाओं को प्रदान करने के बाद, यदि पंजीकरण प्रक्रिया 14 दिनों के भीतर पूरी नहीं की जाती है, तो आपका डाटा सिस्टम से हटा दिया जाएगा।

6. पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद, 'मूलभूत विवरण' केवल दो बार बदला जा सकता है। अतः **एक बारगी पंजीकरण करने के दौरान अत्यंत सावधानी बरतें ।**

7. आपको पुन: सलाह दी जाती है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरें जैसा कि आपके मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र में दर्ज है। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचनाएं देने पर आपकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।

BASIC DETAILS

Edit

1a. Do you have Aadhaar ? *	○ Yes ◉ No
1a. Aadhaar Number	
1b. Verify Aadhaar Number	
1c. Type of ID *	Voter ID Card Type of ID and ID Number to be provided if you don't want to give Aadhaar number
1d. ID Number *	BRHPK3731M
2a. Name *	SAMPLE NAME Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate Please enter name without any salutation (i e Shri/ Smt/ Mr/ Mrs/ Ms/ Dr/ Prof)
2b. Verify Name *	SAMPLE NAME
2c. Have you ever changed Name?	○ Yes ◉ No
2d. New Name / Changed Name	
3a. Father's Name *	SAMPLE FATHER NAME 1.Father's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate 2.Please enter name without any salutation (i e Mr/ Shri/ Late/ Dr/ Prof etc)
3b. Verify Father's Name *	SAMPLE FATHER NAME

4a. Mother's Name *

SAMPLE MOTHER NAME

1.Mother's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate
2.Please enter name without any salutation (i e Mrs/ Smt/ Late/ Dr/ Prof etc)

4b. Verify Mother's Name *

SAMPLE MOTHER NAME

5a. Date Of Birth (DD/MM/YYYY) *

02/08/2002

Date Of Birth should be same as mentioned in Matriculation Certificate

5b. Verify Date of Birth (DD/MM/YYYY) *

02/08/2002

6. Matriculation (10^{th} Class) Examination details :

(i). Education Board *

Central Board of Secondary Education (CBSE)

Education Board of Matriculation Examination

(ii). Verify Education Board *

Central Board of Secondary Education (CBSE)

(iii). Roll Number *

301739

1. Roll Number should be same as mentioned in Matriculation Certificate
2. Only / and - are allowed , Please enter Roll number without any other special character(s)
3. If Roll Code is given in your Matriculation Certificate then enter "Roll Code - Roll No."

(iv). Verify Roll Number *

301739

(v). Year of Passing *

2016

(vi). Verify Year of Passing *

2016

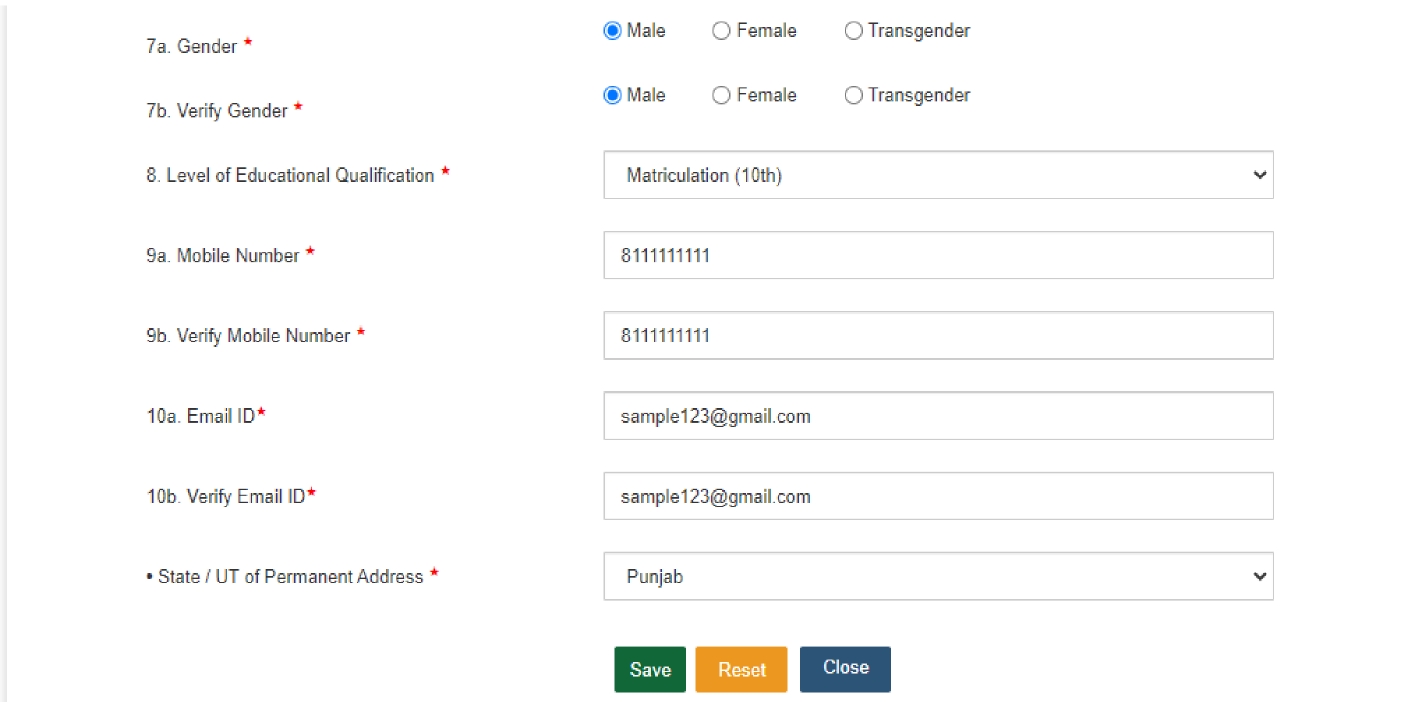

7a. Gender *	(●) Male ( ) Female ( ) Transgender
7b. Verify Gender *	(●) Male ( ) Female ( ) Transgender
8. Level of Educational Qualification *	Matriculation (10th)
9a. Mobile Number *	8111111111
9b. Verify Mobile Number *	8111111111
10a. Email ID*	sample123@gmail.com
10b. Verify Email ID*	sample123@gmail.com
• State / UT of Permanent Address *	Punjab

Save Reset Close

ADDITIONAL AND CONTACT DETAILS

Edit

11a. Category *	(•) General ( ) EWS ( ) OBC ( ) ST ( ) SC
11b. Verify Category *	(•) General ( ) EWS ( ) OBC ( ) ST ( ) SC
12. Nationality *	Citizen of India
13. Identification Marks*	MOLE ON RIGHT CHEEK
14a. Are you a Person with Benchmark Disability? *	( ) Yes (•) No
14b. Type of Disability	--Select--

NOTE
VH: Blindness and low vision.
HH: Deaf and hard of hearing.
OH: Locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy.
Others: Autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness, multiple disabilities from amongst persons under the above mentioned clauses including deaf-blindness.

14c. Disability Certificate Number	
15a. Permanent Address *	SAMPLE PERMANENT ADDRESS
15b. State/ UT *	Punjab
15c. District *	Patiala
15d. PIN Code *	140401
16. Is Present Address same as Permanent Address?	(•) Yes ( ) No
17a. Present Address *	SAMPLE PERMANENT ADDRESS
17b. State/ UT *	Punjab
17c. District *	Patiala
17d. PIN Code *	140401
18. Contact details for other nationals	

Previous Save Next Reset Close

DECLARATION

Declaration : I hereby declare that the information given by me in this form is true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage,my candidature/appointment is liable to be cancelled/terminated.

☐ I Agree.

Previous | Take Draft Print | Final Submit | Close

अनुबंध-II

भाग-II (ऑनलाईन आवेदन फॉर्म)

1. ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले, निम्नलिखित डेटा तैयार रखें :-
   - **क.** अभ्यर्थी द्वारा अपनी नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ **(अर्थात परीक्षा विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से तीन महीने अधिक पुरानी न हो)** जेपीईजी प्रारूप (20 केबी से 50 केबी) में अपलोड किया जाना चाहिए। फोटोग्राफ की छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी और चश्मे का होना चाहिए और उसमें दोनों कान दिखाई देने चाहिए। **<u>जिस तारीख को फोटो ली गई है, वह फोटोग्राफ पर अंकित होनी चाहिए।</u> फोटो पर <u>अंकित</u> तारीख के बिना आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। धुंधली तस्वीर वाला आवेदन भी निरस्त कर दिया जाएगा।**
   - ख. स्कैन हस्ताक्षर का जेपीईजी प्रारूप (10 केबी से 20 केबी) होना चाहिए । हस्ताक्षर का आकार 4.0 सेमी(चौ.) x 2.0 सेमी(ऊँ.) वाला होना चाहिए। अस्पष्ट हस्ताक्षर वाले आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा।
   - ग. शैक्षणिक योग्यता का विवरण जैसे उत्तीर्ण वर्ष, रोल नंबर, प्रतिशत/सीजीपीए, बोर्ड का नाम आदि।
2. अपने 'पंजीकरण-संख्या' और पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम में लॉगिन करें।
3. **केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, सचिवालय सुरक्षा बल में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) और असम राइफल्स में राइफलमैन (सामान्य ड्यूटी) की भर्ती परीक्षा, 2021'** के 'Apply' लिंक पर क्लिक करें।
4. क्रम सं.-1 से 13 पर कॉलम में जानकारी स्वचालित रूप से आपके एकबारगी पंजीकरण डाटा से भर जाएगी जिसमे संशोधन नहीं किया जा सकता। **यद्यपि, यदि आप एकबारगी पंजीकरण ब्योरे में कोई बदलाव करना चाहते है तो अपने लॉग-ईन स्क्रीन के बाएँ हाथ के ऊपरी कोने में प्रदान की गई 'Modify Registration'' टैब पर क्लिक करें और आगे बढ़ने से पहले उपर्युक्त संशोधन कर लें।**
5. क्र.स.-14: यदि आप एक भूपुसै हैं या सशस्त्र बलों में सेवारत हैं, तो वांछित जानकारी भरें। भूतपूर्व सैनिकों के पारिवारिक सदस्यों को भूतपूर्व सैनिक नहीं माना जाता है और इसलिए उन्हें 'No' का चयन करना चाहिए।
6. क्र.स.-15.1: यदि आप आयु में छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो 'Yes' का चयन करें और क्रमांक-15.2 में उपयुक्त आयु-छूट श्रेणी का चयन करें।
7. क्र.स.-16.1: यदि आप एनसीसी प्रमाणपत्र धारक हैं तो 'Yes' का चयन करें और क्रमांक-16.2 में एनसीसी प्रमाणपत्र का विवरण प्रदान करें।
8. क्र.स.-17: परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी वरीयता दें। आप उसी क्षेत्र के भीतर परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। तीनों केंद्रों के लिए विकल्प, वरीयता क्रम में दिया जाना चाहिए।
9. क्र.स.-18 एवं 19: अपना अधिवास राज्य / केंद्र शासित प्रदेश और अधिवास जिले का चयन करें। चूंकि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) और असम राइफल्स में राइफलमैन (सामान्य ड्यूटी) के पद के लिए रिक्तियां अधिवास आधारित हैं और रिक्तियां सीमावर्ती जिलों और नक्सल/आतंकवाद से प्रभावित जिले के लिए भी आरक्षित हैं, इसलिए आपको केवल क्रम संख्या-18 और 19 में आपके द्वारा उल्लिखित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और जिले से ही माना जाएगा। आपको दस्तावेज़ सत्यापन के समय क्रमांक - 18 और 19 में आपके द्वारा निर्दिष्ट राज्य / केंद्र शासित प्रदेश और जिले का अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत

करना होगा। यदि आपके द्वारा क्रम संख्या-18 और 19 में उल्लिखित अधिवास राज्य / केंद्र शासित प्रदेश व जिले और दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रस्तुत अधिवास प्रमाण पत्र में उल्लिखित राज्य / केंद्र शासित प्रदेश व जिले के बीच अगर कोई विसंगति मिलती है तो आपकी उम्मीदवारी उसी समय निरस्त कर दी जाएगी।

10. क्र.स.-20: यदि आप अजा/अजजा/अपिव श्रेणी से संबंधित हैं और अपने मूल राज्य/केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में चले गए हैं, या तो आपके पास अपने मूल राज्य/केंद्र शासित प्रदेश से आरक्षण का लाभ उठाने का विकल्प है अथवा आपको वर्तमान अधिवास राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की रिक्तियों के खिलाफ अनारक्षित/आकव उम्मीदवार माना जाएगा। अपना सुविचारित निर्णय लें और तदनुसार इस कॉलम में जानकारी भरें।
11. क्र.स.-21 और 22: आपके अधिवास राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और जिले के आधार पर जानकारी स्वतः भर जाएगी।
12. क्र.स.-23: कें. स. पु. ब./ संगठनों की अपनी वरीयता दें। सभी छह विकल्पों को भरना अनिवार्य हैं।
13. क्रम संख्या-24: कृपया अपनी उच्चतम योग्यता इंगित करें।
14. क्रम संख्या-25: शैक्षिक योग्यता का विवरण भरें।
15. क्रम संख्या-26: कृपया परीक्षा-विज्ञप्ति का पैरा संख्या-18 देखें और तदनुसार भरें।
16. क्रम संख्या-27 एवं 28: वर्तमान तथा स्थायी पता से संबंधित सूचना एक बारगी पंजीकरण डाटा से स्वतः भर जाएगी।
17. **कृपया अपनी नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ (अर्थात परीक्षा विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से तीन महीने अधिक पुरानी न हो) अपलोड करें, जैसा कि ऊपर क्रं.सं.1ए पर विनिर्दिष्ट किया गया हैं। सुनिश्चित करें कि जिस तारीख को फोटो ली गई है, वह फोटोग्राफ पर अंकित हो, फोटो पर अंकित तारीख के बिना आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। धुंधली तस्वीर वाला आवेदन भी निरस्त कर दिया जाएगा ।**
18. उपर्युक्त क्र.सं.1ख के निर्देशानुसार अपना हस्ताक्षर अपलोड करें। **धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।**
19. क्रं.सं.29: अपलोड की गई फोटो परीक्षा विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से तीन महीने अधिक पुरानी न हो तथा जिस तारीख को फोटो ली गई है, वह फोटोग्राफ पर अंकित होनी चाहिए। जिस तारीख को फोटो ली गयी है वह तारीख भरें।
20. क्रं.सं.30: यदि अपलोड की गयी फोटो पर तारीख साफ प्रिंट की हुई है तो 'Yes' पर क्लिक करें।
21. घोषणा को ध्यानपूर्वक पढ़ें और अगर स्वीकार है तो "मैं सहमत हूं" चेक बॉक्स पर क्लिक करें। कैप्चा कोड भरें।
22. आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी का पूर्वावलोकन और सत्यापन करें। यदि आप किसी भी प्रविष्टि में कोई संशोधन करना चाहते हैं तो ''Edit/ Modify'' बटन पर क्लिक करें और आगे बढ़ने से पहले अपेक्षित संशोधन कर लें। जब आप संतुष्ट हो जाएँ कि जानकारी सही भरी गई है, जानकारी का पूर्वावलोकन और सत्यापन करें और आवेदन जमा करें। आवेदन जमा करने के पश्चात आप ऑनलाईन आवेदन में कोई भी संशोधन नहीं करा पाएंगे।
23. यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट नहीं दी गयी है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।
24. शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग अथवा वीसा,मास्टरकार्ड, मैस्ट्रो, रूपे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का उपयोग करके अथवा एसबीआई चालान तैयार करके एसबीआई के शाखा में नकद जमा किया जा सकता है। शुल्क भुगतान हेतु और अधिक जानकारी के लिए परीक्षा-विज्ञप्ति के पैरा-9 का संदर्भ लें।
25. जब आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा, तो इसे 'अनंतिम रूप से' स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थी को अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट-आउट लेना चाहिए । किसी भी स्तर पर आयोग को 'आवेदन पत्र' का प्रिंट-आउट जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

तथापि, आपको ऑनलाईन आवेदन से संबन्धित शिकायतों, यदि कोई हो, को संबोधित करने के लिए ऑनलाईन आवेदन-प्रपत्र का प्रिंट-आउट देना होगा।

CONSTABLES (GD) IN CENTRAL ARMED POLICE FORCES (CAPFs), NIA, SSF AND RIFLEMAN (GD) IN ASSAM RIFLES EXAMINATION, 2021

Instructions

PLEASE BE VERY CAREFUL WHILE FILLING THE APPLICATION FORM

1. Candidate's Name: (As per the Matriculation Certificate)	SAMPLE NAME
2. New / Changed Name:	
3. Father's Name:	SAMPLE FATHER NAME
4. Mother's Name:	SAMPLE MOTHER NAME
5. Date of Birth (DD/MM/YYYY)(as per Matriculation Certificate):	02/08/2002
6. Age as on 01/08/2021:	18.11
7. Gender:	Male
8. Category:	UR
9. Nationality:	Citizen of India
10. Mark of Visible Identification:	MOLE ON RIGHT CHEEK
11. Matriculation (10^{th} Class) Examination Board:	Central Board of Secondary Education (CBSE)
12. Matriculation (10^{th} Class) Roll No.:	301739
13. Matriculation (10^{th} Class) Year of Passing:	2016
14.1. Whether you are an Ex-Servicemen (ESM) or serving in the Armed Forces? :*	○ Yes ◉ No

14.2. Date of Joining the Armed Forces (DD/MM/YYYY):

14.3. Date of Discharge/ Tentative Date of Discharge from the Armed Forces (DD/MM/YYYY):

14.4. Length of Service in the Armed Forces:

14.5. Have you already joined a civil post by availing benefit of reservation for Ex-Serviceman (ESM) : ○ Yes ○ No

Please refer to the Notice of Examination, Para-5.3

14.6. Date of Joining to Civil Post (DD/MM/YYYY):

15.1. Whether seeking Age Relaxation? :* ○ Yes ◉ No

15.2. If Yes, Age Relaxation code: --Select Age Relaxation Code--

Please see Para - 5.1 of the Notice

16.1. Are you a National Cadet Corps (NCC) Certificate holder? : * ○ Yes ◉ No

16.2. Type of the NCC Certificate: * --Please Select--

Confirm Type of the NCC Certificate: --Please Select--

17. Preference of Examination Centres:* NWR-Jalandhar(14 | NWR-Amritsar(1404) | NWR-Chandigarh(16

Please see Para - 10 of the Notice

18. State/ UT of Domicile: Punjab

Confirm State/ UT of Domicile: Punjab

19. District of Domicile: Patiala

Confirm District of Domicile: Patiala

20.1. Have you migrated from the State/ UT of your Origin to another State/ UT?:* ◯ Yes ◯ No

20.2. Whether you would like to avail the benefit of reservation from the State/ UT of your Origin?:[If you select 'No', you will be considered in 'UR/ EWS' category from the State/ UT of Domicile filled in your application]* ◯ Yes ◯ No

20.3. State/ UT of Origin:
Please see Para - 6.2 of the Notice
--Select Origin State/ UT--

20.4. District of Origin:
Please see Para - 6.2 of the Notice
--Select Origin District--

21. Candidate belongs to Militancy/ Naxal affected District? :* ◯ Yes ◉ No

22. Candidate belongs to Border District? :* ◯ Yes ◉ No

23. Preference of posts for CAPFs / Organizations: * A B D E F H Reset

Verify Preference of posts for CAPFs / Organizations: A B D E F H Reset

Post Details

24. Highest Educational Qualification: * Matriculation/ 10th Class Pass(1)

25. Details of Qualifying Educational Qualification:* 10th Standard

Status	Passing Year	State/ UT of Board/ University	Name of Board/ University	Roll No	Percentage	CGPA
Passed	2016	Delhi	Central Board of Second:	301739	89	

26. Do you want to make your personal information available for accessing job opportunities in terms of DoP&T's OM.No.39020/1/2016-Estt.(P) dated 21/06/2016? * Please see Para - 18 of the Notice	(●) Yes ( ) No
27. Correspondence Address:	Sample Permanent Address
State:	Punjab
District:	Patiala
Pin:	140401
28. Permanent Address	Sample Permanent Address
State:	Punjab
Pin:	140401
Mobile Number:	8111111111
Email:	sample123@gmail.com

Photograph and Signature

Upload Photo with date printed on it
(See Para- 8.2 of Notice)*
Allowed File Size: 20 KB to 50 KB
Format: JPEG/ JPG
Image Size: About 3.5 cm (width) x 4.5 cm (height)
Choose File SamplePhotograp.jpg

Upload Signature *
Allowed File Size: 10 KB to 20 KB
Format: JPEG/ JPG
Image Size: About 4.0 cm (width) x 2.0 cm (height)
Choose File SampleSignature.jpg

29. Date on which photograph has been taken(DD/MM/YYYY): 26/04/2021

30. Whether the date mentioned at S.No.29 is clearly printed on the Photograph: (•) Yes ( ) No

Declaration

1. I have read the Notice of Examination and accept all the Terms & Conditions mentioned therein.

2. I hereby declare that all the statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found supressed/ false or incorrect at any stage or ineligibility being detected before or after the Examination, my candidature/ appointment is liable to be cancelled. I am willing to serve anywhere in India.

☑ I Agree

Try Another

RJCEN

Preview Reset Close

अनुबंध-III

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार. . . . .
. . . .
(नंबर) . . . . (रैंक)
. . . .
. . . . (नाम) . . . . (दिनांक) . . . .
. . . . .को सशस्त्र सेना में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे।

स्थानः (कमांडिंग अधिकारी के हस्ताक्षर)

दिनांकः कार्यालय की मुहरः

<u>अनुबंध –IV</u>

<u>भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दिया जाने वाला वचन-पत्र</u>

मैं ...., अनुक्रमांक ....

....परीक्षा, 20….. के दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित हुआ हूँ एततद्वारा वचनबद्ध हूँ कि:

(क) मैं समय समय पर यथा संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा और डाक नियम, 1979, में भूतपूर्व सैनिकों के पुन: रोजगार के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अनुमत लाभों का हकदार हूँ।

(ख) मैंने सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) में भूतपूर्व-सैनिकों को पुन: रोजगार के लिए दिए गए आरक्षण का लाभ उठाते हुए समूह 'ग' तथा 'घ' पदों की सरकारी नौकरी में नियमित आधार पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है; अथवा

(ग) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांक ....को .... कार्यालय में ....पद पर कार्यभार ग्रहण किया है । मैं एतदद्वारा वचनबद्ध हूँ कि वर्तमान सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले वर्तमान नियोक्ता को उन सभी आवेदनों के बारे में स्व-घोषणा / वचन पत्र प्रस्तुत किया है जिनके लिए मैंने आवेदन किया है; अथवा

(घ) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांक ....को .... कार्यालय में ....पद पर कार्यभार ग्रहण किया है । इसलिए, मैं केवल आयु में छूट पाने के लिए पात्र हूँ;

मैं एतदद्वारा घोषणा करता हूं कि उपरोक्त विवरण जहाँ तक मुझे पता है तथा विश्वास है यथार्थ, पूर्ण और सही हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी स्तर पर किसी भी जानकारी के झूठा या गलत पाए जाने पर मेरी अभ्यर्थिता / नियुक्ति निरस्त/ समाप्त समझा जाएगा ।

हस्ताक्षर: ....
नाम: ....
अनुक्रमांक: ....
दिनांक: ....
सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि: ....
कार्यमुक्ति की तिथि: ....
अंतिम इकाई / कोर: ....
मोबाइल नंबर: ....
ईमेल आईडी: ....

<u>अनुबंध- V</u>

<u>अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप</u>

जो अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करते हैं, उन्हें अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रपत्र पर जिलाधिकारी या परगनाधिकारी या उस जिले जिसमें उनके माता-पिता (या जीवित माता-पिता) सामान्यतः रहते हों, के नीचे दिए गए किसी भी अधिकारी, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति जमा करनी चाहिए। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें अभयर्थी अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अतिरिक्त सामान्यतः रहता हो। जहां कहीं फोटोग्राफ प्रमाणपत्र का आवश्यक अंग है, वहां आयोग ऐसे प्रमाणपत्रों की केवल प्रमाणित फोटो प्रतियां ही स्वीकार करेगा न कि कोई अन्य प्रमाणित या सही प्रतिलिपि।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभयर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*...
पुत्र/पुत्री..
निवासी ग्राम/कस्बा* ....
जिला/संभाग*...राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*...................................के ....
जाति/जनजाति से संबधित हैं जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त हैः-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950.....................
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950............................
संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*..
संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*...

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश, 1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित।

संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956......................
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन अधिनियम) 1976* द्वारा यथा संशोधित
संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959
संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962@
संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964@

संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967@
संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968@

संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968@
संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@
संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@
संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990@
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991@
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991@
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996

%2 यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* ....के माता/पिता श्री/श्रीमती..निवासी ग्राम/कस्बा*... ....जिला/संभाग*................. ....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*... को जारी किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो ....जाति/जनजाति से संबंधित हैं जो..दिनांक................... ....द्वारा जारी .... राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

%3 श्री/श्रीमती/कुमारी...और/या* उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा*........................जिला/संभाग*............................ ...राज्य/संघ राज्य क्षेत्र........................में रहता है।

हस्ताक्षर....................................

**पदनाम..............................
स्थान.......................................
दिनांक............................ (कार्यालय की मुहर सहित)

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें।
@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें।
% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें।

टिप्पणीः- यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है।

**जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची :-

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।
(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।
(iv) क्षेत्र का सब डिविजनल आफीसर जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

टिप्पणी :- तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

अनुबंध–VI

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाल प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि .... पुत्र/पुत्री .... ग्राम ....जिला/संभाग ....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के .... समुदाय से संबंधित हैं जो दिनांक------संकल्प सं.----------सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है।

श्री/श्रीमती/कु०..तथा /या उनका परिवार सामान्यतः ....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के .... जिला/संभाग में रहता/रहते हैं।
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93–स्था. –(एससीटी), दिनांक 8.9.1993** की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

दिनांकः

मुहरः
जिलाधीश या
उपायुक्त आदि।

*प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प का ब्यौरा का उल्लेख करना होगा जिसमें अभयर्थी की जाति का अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लेख है।

* समय समय पर यथा संशोधित

टिप्पणी : यहां प्रयुक्त सामान्यतः शब्द का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है।

अनुबंध- VII

.... सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता)

<u>आर्थिक रूप से पिछ्डे वर्गों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय और संपत्ति संबंधी प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाण–पत्र संख्या ____________________ दिनांक

वर्ष .... लिए मान्य

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ____________________________ पुत्र/पुत्री/पत्नी ________________स्थायी निवासी ______________________गाँव/गली _______________ डाकघर ______________________ जिला ______________________ राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र ______________________ पिन कोड ___________ जिनकी फोटो नीचे सत्यापित की गयी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं क्योंकि वित्त वर्ष .... के लिए उनकी /उनके 'परिवार' ** की कुल वार्षिक आय* 8 लाख (केवल आठ लाख रुपये) से कम है। उनके/उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई संपत्ति नहीं है :

I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि ;
II. 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी ____________________________ का संबंध _______________ जाति से है जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछ्ड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर..................................

नाम ....

पदनाम..................................

अभ्यर्थी के हाल ही का पासपोर्ट आकार अनुप्रमाणित फोटोग्राफ

* टिप्पणी 1: सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि को शामिल करके कुल आय।

** टिप्पणी 2: इस प्रयोजनार्थ 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन के साथ-साथ उसका पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

*** टिप्पणी 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या अधिग्रहीत संपत्ति परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों / शहरों में "परिवार" की सभी संपत्ति को शामिल कर लिया गया है।

अनुबंध-VIII

लंबाई अथवा सीने की माप में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र
(कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति का पैरा -11.5 देखें)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री --पुत्र श्री---ग्राम--तहसील/तालुका--जिला---राज्य के स्थायी निवासी हैं।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :
* गढ़वाली, कुमायूंनी, डोगरा, मराठा की श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी और असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित अभयर्थी।

* पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम और त्रिपुरा, एवं दार्जिलिंग जिले के तीन जिलों नामतः दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कुरसिंयोंग सहित गोरखा प्रादेशिक प्रशासन (जीटीए) की श्रेणी में आने वाले इन जिलों में निम्नलिखित "मोजास" उप-मण्डल शामिल हैं:

(1) लोहागढ़ चाय बागान (2) लोहागढ़ वन (3) रंगमोहन (4) बाराचेंगा (5) पानीघाटा (6) छोटा आदलपुर (7) पहारू (8) सुकना वन (9) सुकना भाग-। (10) पंतापती वन-। (11) महानदी वन (12) चम्पासरी वन (13) सलवारी छाट भाग-।। (14) सितोंग वन (15) सिवोक हिल वन (16) सिवोक वन (17) छोटा चेंगा (18) निपानिया

हस्ताक्षर
जिला मजिस्ट्रेट/उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

दिनांक :
स्थान :

* जो भी लागू नहीं हो उसे काट दें।

अनुबंध– IX

(कोड सहित राज्य/संघ शासित क्षेत्र)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कोड	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कोड
अंडमान और निकोबार द्वीप समीह्	01	लक्ष्यद्वीप	19
आंध्र प्रदेश	02	मध्यप्रदेश	20
अरूणाचल प्रदेश	03	महाराष्ट्र	21
असम	04	मणिपुर	22
बिहार	05	मेघालय	23
चंडीगढ़	06	मिजोरम	24
छत्तीसगढ़	07	नागालैंड	25
दादर एवं नगर हवेली एवं दमन एवं द्वीव	08	उड़ीसा	26
दिल्ली	09	पुडुचेरी	27
गोवा	10	पंजाब	28
गुजरात	11	राजस्थान	29
हरियाणा	12	सिक्किम	30
हिमाचल प्रदेश	13	तमिलनाडु	31
जम्मू एवं कश्मीर	14	तेलेंगाना	32
झारखंड	15	त्रिपुरा	33
कर्नाटक	16	उत्तर प्रदेश	34
केरल	17	उत्तराखंड	35
लद्दाख	18	पश्चिम बंगाल	36

अनुबंध–X

(सीमावर्ती जिलों की सूची)

क्रम संख्या	राज्य	जिलें
1	असम	धुबरी
2		कछार
3		करीमगंज
4		कोकराझार
5		बाक्सा
6		चिरांग
7		उदालगुड़ी
8		दक्षिण शालमारा मानकाचर
9	गुजरात	बानसकाण्ठा
10		कच्छ
11		पाटन
12	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू
13		सांबा
14		कठुआ
15		पुंछ
16		राजौरी
17		बारामूला
18		बांदीपुर
19		कुपवाडा
20	लद्दाख	लेह
21		कारगिल
22	हिमाचल प्रदेश	लहाऊल तथा स्पिति
23		किन्नौर
24	मेघालय	दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स
25		पश्चिम गारो हिल्स
26		दक्षिण गारो हिल्स
27		दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स
28		पूर्वी खासी हिल्स
29		पश्चिम जयंतिया हिल्स
30		पूर्वी जयंतिया हिल्स
31	मिजोराम	चमपाई
32		लवांगतलाई
33		लूंगली
34		ममित
35		साईहा
36		सरछिप
37		ह्नाह्थिअल
38		सैत्लाव
39		खाव्ज़व्ल
40	नागालैंड	पेक
41		किफायर
42		मोन

43		ट्वेनसांग
44		नोकलाक
45	पंजाब	अमृतसर
46		तरन–तारन
47		फाजिल्का
48		फिरोजपुर
49		गुरदासपुर
50		पठानकोट
51	राजस्थान	बाड़मेर
52		बिकानेर
53		श्रीगंगानगर
54		जैसलमेर
55	त्रिपुरा	उत्तरी त्रिपुरा
56		ऊनाकोटी
57		ढलाई
58		पश्चिम त्रिपुरा
59		खवाई
60		सेपाहीजाला
61		गोमाटी
62		दक्षिण त्रिपुरा
63	अरूणाचल प्रदेश	तावांग
64		तिरप
65		चांगलांग
66		लोंगर्डिंग
67		पश्चिम कामेंग
68		पूर्वी कामेंग
69		कुरूंग कुमें
70		करा डाडी
71		उपरी सोवनसिरि
72		पश्चिम सियांग
73		उपरी सियांग
74		दिवांग घाटी
75		निचली दिवांग घाटी
76		अंजॉ
77		शि योमी
78	पश्चिम बंगाल	कोचबिहार
79		दार्जिलिंग
80		दक्षिण दिनाजपुर
81		जलपाईगुड़ी
82		अलिपुरद्वार
83		मालदा
84		मुर्शिदाबाद
85		नदिया
86		उत्तर 24 परगना
87		दक्षिण 24 परगना
88		उत्तर दिनाजपुर
89		कालिमपोंग

90	सिक्किम	पूर्वी सिक्किम
91		पश्चिम सिक्किम
92		उत्तर सिक्किम
93	मणिपुर	उखरूल
94		चंडेल
95		चुराचांदपुर
96		कांमजोंग
97		टेगलोपॉल
98		फिरज़ौल
99	बिहार	पश्चिम चम्पारण
100		पूर्वी चम्पारण
101		सीतामढ़ी
102		मधुबनी
103		सुपौल
104		अररिया
105		किशनगंज
106	उत्तर प्रदेश	पीलीभीत
107		लखीमपुर खेरी
108		बहराइच
109		श्रावस्ती
110		बलरामपुर
111		सिद्धार्थनगर
112		महाराजगंज
113	उत्तराखंड	पिथोरागढ़
114		चम्पावत
115		उधमसिंह नगर
116		उत्तरकाशी
117		चमौली

अनुबंध–XI

नक्सलवाद/आतंकवाद प्रभावित जिलों की सूची

क्र. स.	राज्य	जिलों की संख्या	जिलों के नाम
1	आंध्र प्रदेश	06	पूर्वी गोदावरी, गुंटुर, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, पश्चिमी गोदावरी
2	बिहार	16	अरवल, औरंगाबाद, बांका, पूर्वी चंपारण, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमर, लखीसरय, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, रोहतास, वैशाली, पश्चिमी चंपारण,
3	छत्तीसगढ़	14	बालोद, बलरामपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाडा, धन्तरी, गरियाबंद, काकेर, कोंडागांव, महासमुंद, नारायणपुर, राजनंदगांव, सुकमा, कबीरधाम
4	झारखंड	19	बोकारो, छत्र, धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंगभूम, गरवा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, खूंती, कोदरमा, लतेहर, लोहरडग्गा, पलमू, रामगढ़, रांची, सिमडेगा, सरायकेला- खरसवान, पश्चिमी सिंघभूम,
5	केरल	03	मल्लापुरम, पलक्कड, वायानाड
6	मध्य प्रदेश	02	बालाघाट, मंडला
7	महाराष्ट्र	03	चंद्रपुर, गढ़चिरोली, गोंदिया
8	उडीसा	15	अंगुल, बारंगढ़, बालगीर, बोध, देवगढ़, काराहांडी, कोंदमल, कोरापुट, मलकनगिरी, नवरंगपुर, नयागढ़, नुआपडा, रयागडा, संबलपुर और सुंदरगढ़
9	तेलंगाना	08	आदिलाबाद, भद्राद्री–कोठागुडम, जयशंकर–भूपालपल्ली, खम्मम, कुमारम भीम, मंचेरियाल, पेडापल्ली. वारंगल ग्रामीण
10	उत्तर प्रदेश	03	चमौली, मिर्जापुर और सोनभद्र
11	पश्चिम बंगाल	01	झारग्राम
	कुल योग	**90**	
12	अरूणाचल प्रदेश	समस्त जिले	आतंकवाद प्रभावित
13	असम	समस्त जिले	आतंकवाद प्रभावित
14	जम्मू और कश्मीर	समस्त जिले	आतंकवाद प्रभावित
15	लद्दाख	समस्त जिले	आतंकवाद प्रभावित
16	मणिपुर	समस्त जिले	आतंकवाद प्रभावित
17	मेघालय	समस्त जिले	आतंकवाद प्रभावित
18	मिजोरम	समस्त जिले	आतंकवाद प्रभावित
19	नागालैंड	समस्त जिले	आतंकवाद प्रभावित
20	त्रिपुरा	समस्त जिले	आतंकवाद प्रभावित
	कुल योग	**9**	

अनुबंध-XII

(पश्चिम पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए जन्म/पहचान प्रमाणपत्र)

सरपंच/नम्बरदार/नायब तहसीलदार का
कार्यालय...

फोटोग्राफ

जम्मू और कश्मीर/ लद्दाख संघ शासित प्रदेशों में निवास कर रहे पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी के लिए पहचान पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमती .... सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री.. .... पूर्व में अविभाजित भारत (वर्तमान पाकिस्तान के ....गांव.........................तहसील .... जिला के रहने वाले वर्तमान में मकान संख्या .... गली/लेन संख्या............................ मोहल्ला................................ गांव..................................तहसील .... जिला .... में रह रहे है, जो 1947 के भारत पाक संघर्ष के दौरान पाकिस्तान से प्रवास करने के बाद पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थी हैं।

सरपंच/नम्बरदार/नायब तहसीलदार